वार्षिक रिपोर्ट
1997 - 1998

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

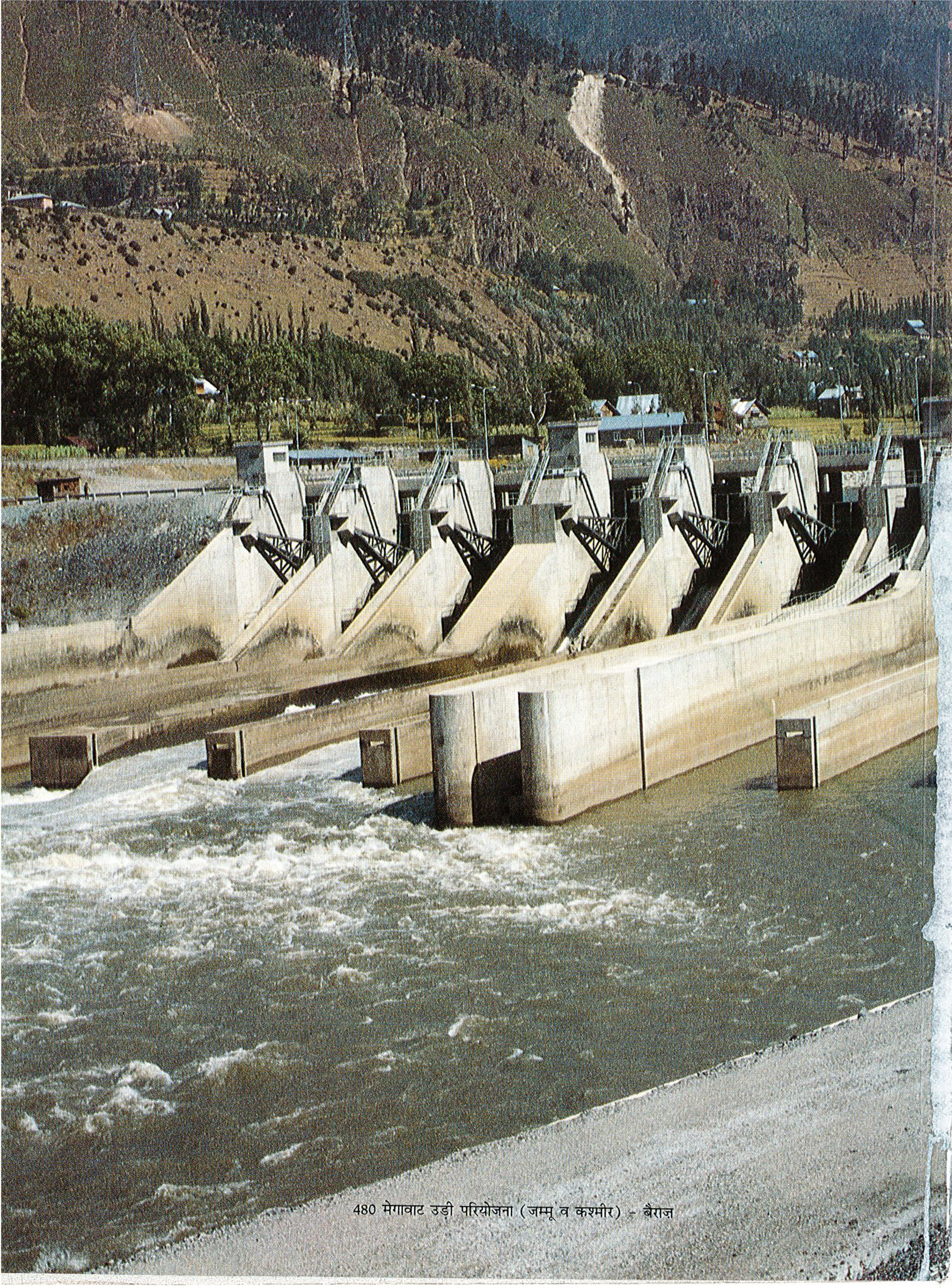

480 मेगावाट उडी परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - बैराज़

विषय-सूची

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य	2
निगम की रूपरेखा	3
निदेशक-मंडल	5
अध्यक्षीय संबोधन	7
निदेशक-मंडल की रिपोर्ट	12

वार्षिक लेखे	24
तुलन-पत्र उद्धरण तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा	46
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	48
भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	55

निगम का लक्ष्य

एन.एच.पी.सी. का मिशन देश की विशाल जल विद्युत संभाव्यता का दोहन करके सस्ती, प्रदूषण-रहित और कभी न समाप्त होने वाली जल विद्युत पावर का उत्पादन करना है। एन.एच.पी.सी. केंद्रीय क्षेत्र में जल विद्युत पावर के एकीकृत और दक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विकास में जल विद्युत, ज्वारीय और पवन बिजली परियोजनाओं का अन्वेषण, योजना, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन व रख-रखाव करने जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।

निगम के उद्देश्य

संचालनात्मक

आधुनिक प्रणाली-विज्ञान और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर हाइड्रो परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना और साथ ही साथ एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाकर लागत में कमी और कम से कम समय के भीतर जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना।

संचालन और रख-रखाव की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर संचालित पावर स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें पावर जनरेटिंग स्टेशनों का संवर्धन, आधुनिकीकरण और जहां आवश्यक हो, इनकी क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

व्यापक कारपोरेट योजना बनाना और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना तथा देश में बदलते राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर इन योजनाओं को निरंतर नयापन देना। पावर क्षेत्र में निगम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना और प्रतिष्ठा निर्माण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करना।

आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव संसाधन विकास के साथ ही साथ उपयुक्त संगठनात्मक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और इसे प्राप्त करना।

देश में मिले-जुले पावर अनुपात में जल विद्युत के हिस्से में सुधार करने की दृष्टि से नदी बेसिनों के हाइड्रो-पावर संसाधनों का अधिकतम और तेजी से विकास करना।

देश में पवन और ज्वारीय पावर परियोजनाओं का निष्पादन हाथ में लेना।

परियोजना अन्वेषण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्यों को हाथ में लेना। देश तथा विदेश में डिपॉजिट आधार पर टर्नकी निष्पादन के कार्य हाथ में लेना।

विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय हिफाज़ती उपायों को अपनाकर जल विद्युत पावर परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थिकीय जागरूकता दृष्टिकोण को अपनाना।

वित्तीय उद्देश्य

क्षमता में बढ़ोतरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कारपोरेट योजनाओं का अनुकूल निर्माण करना।

न्यूनतम किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत के भीतर पूरा करना।

कारपोरेट रूपरेखा

(रुपए लाखों में)

वित्तीय	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
बिक्री व ढुलाई प्रभारें*	99297	53442	50913	48051	20866
विविध आय@	437	2167	204	162	218
ब्याज तथा मूल्यह्रास पूर्व लाभ $	78081	48108	43298	37224	17221
ब्याज तथा मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ $	29942	10668	7737	9367	7054
लाभांश	1500	1500	1500	1000	500
आरक्षित व अतिरिक्त (संचयी)	94859	63447	54429	48192	39825
निगम का स्वामित्व					
सकल स्थिर परिसंपत्तियां	690490	389378	372752	359780	160399
मूल्यह्रास	59871	62281	49012	36983	29124
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	630619	327097	323740	322797	131275
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	207311	489571	444470	338007	314869
निर्माण स्टोर व पेशगियां	33198	11668	16903	22654	136818
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां	119938	48683	39544	52426	83512
विविध खर्च	171	499	856	1063	456
	991237	877518	825513	736947	666930
निगम की देयता					
शुद्ध मूल्य					
- हिस्सा पूंजी	339301	291737	289028	283270	283248
- आरक्षित	94859	63447	54429	48192	39825
उधार ली गई	544026	522334	482056	405485	343857
मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय	13051	–	–	–	–
	991237	877518	825513	736947	666930

संचालन निष्पादन	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
उत्पादन (मि.यू.)	8815.76	5614	6141	6058	3587
मशीन उपलब्धता (प्रतिशत)	83.00	83.25	85.30	83.99	84.66
बिक्री (रुपये करोड़ों में)	993	534	509	478	206
जन शक्ति (संख्या)	12184	12119	11984	12145	12449

* मूल्यह्रास के बदले दर समायोजन और पेशगियों के बाद शुद्ध बिक्री

@ ठेकों में शामिल प्राप्तियां

$ पूर्व अवधि समायोजन के बाद

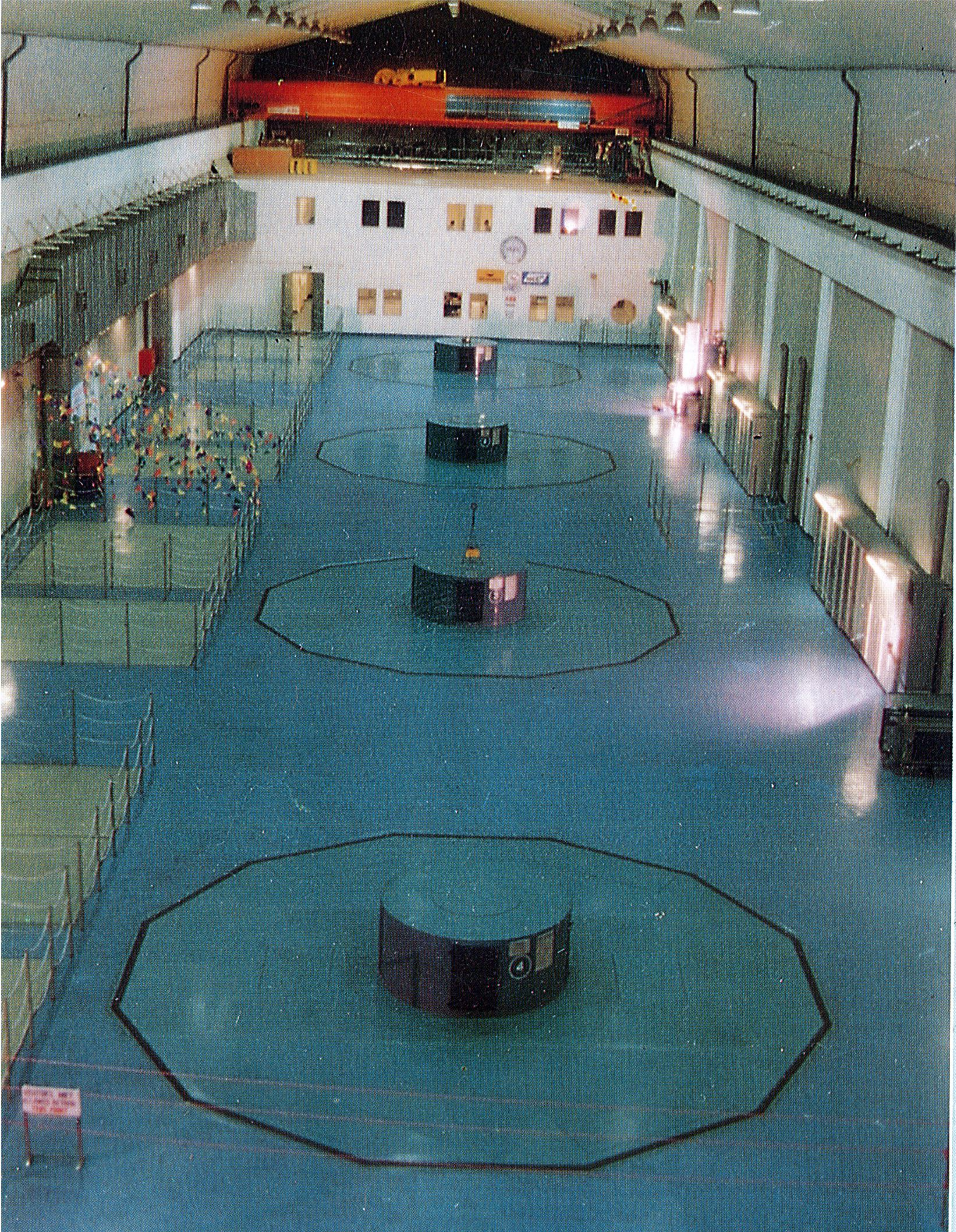

480 मेगावाट उड़ी परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - पावर हाऊस

निदेशक-मंडल
(1.10.98)

श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए.आई. बुनेट
निदेशक (कार्मिक)

श्री एन. विश्वनाथन
निदेशक (तकनीकी)

श्री आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

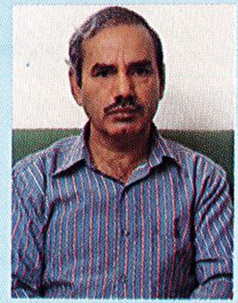

श्री एस.आर. शिवरैन
संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार,
विद्युत मंत्रालय

श्री जे. वासुदेवन
संयुक्त सचिव (हाइड्रो)
विद्युत मंत्रालय

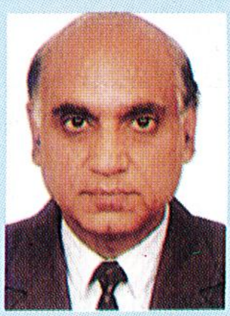

श्री डी.के. खेरा
सदस्य (हाइड्रो)
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

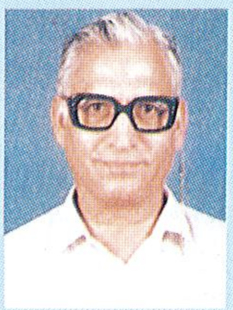

श्री ए.बी. जोशी

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स मोहन एण्ड मोहन
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
बी-328, प्रथम मंजिल,
नेहरू ग्राऊंड,
फरीदाबाद-121001

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स एच.एस. आहूजा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाऊंटेन्ट्स
61-एच गोबिंद मैंसन,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

मैसर्स ए. केज एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाऊंटेन्ट्स
231, कमलालया सेंटर,
II व III मंजिल, 156-ए
लेनिन सारनी, कलकत्ता-700013

मैसर्स मनमोहन जोगिन्दर एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
तृतीय मंजिल, हॉल नं. 5,
जे.डी. कॉम्पलेक्स
पुराना हस्पताल रोड
जम्मू-180 001

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ भूटान
पंजाब नैशनल बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सिंडीकेट बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन

पंजीकृत कार्यालय : एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

अध्यक्षीय सम्बोधन

साथियो,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की 22वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1997-98 के लिए वित्तीय लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ समझूँगा।

वर्ष 1997-98 में निगम के बिक्री कारोबार, विद्युत उत्पादन और लाभ-अर्जन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो निगम के इतिहास में एक युगान्तकारी घटना है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने पिछले वर्ष के 531.42 करोड़ रुपए की तुलना में 1123.48 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया। इस प्रकार निगम ने पिछले वर्ष के 106.68 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 299.42 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। बिक्री कारोबार और लाभ-अर्जन में वृद्धि मुख्यता कश्मीर घाटी में 480 मे.वा. की उड़ी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो जाने और टनकपुर के अलावा सभी संचालित परियोजनाओं से रिकार्ड विद्युत उत्पादन प्राप्त होने से हुई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने अब तक की सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने की उपलब्धि प्राप्त की है। इन संचालित पावर स्टेशनों से 7710 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 8815.76 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य से 14.34% अधिक है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए का सावधिक ऋण एकत्र किया। निगम ने 13% वाले ''एफ'' सीरीज बाण्डों की 215 करोड़ रुपये की राशि तथा 9% कर-मुक्त ''बी'' सीरीज़ बॉण्डों की 78 करोड़ रुपए की राशि का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। इन दो सीरीज़ों के बॉण्डों की रीडेम्पशन के साथ 31.3.1998 तक बॉण्डों के खाते में बकाया देयता इन पर बने ब्याज को छोड़कर 1931.17 करोड़ रुपए की हो गई।

एन.एच.पी.सी. जिन विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों को विद्युत आपूर्ति कर रही है, उनकी ओर बकाया देयताएं निगम के लिए अभी भी एक समस्या है। एन.एच.पी.सी. का विभिन्न

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री पी.आर. कुमारमंगलम, माननीय विद्युत मंत्री को लाभांश का चैक भेंट करते हुए।

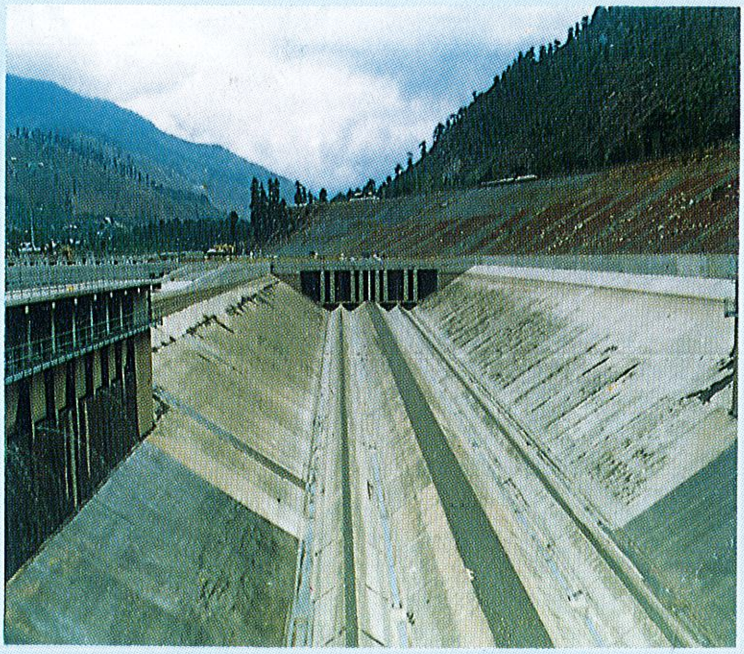

480 मेगावाट उड़ी परियोजना (जम्मू व काश्मीर) - फिश लैड्डर

लाभभोक्ता राज्यों की तरफ पिछले वर्ष के अंत तक 708.08 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 1998 तक 1298.16 करोड़ रुपए बकाया हो गया। फिर भी, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यानी 01 अप्रैल से 30 सितंबर, 1998 तक राजस्व की वसूली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 584.12 करोड़ रुपए तक होने की आशा है और यह भेजे गए बिलों का 75.23% है। यह वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एकत्रित की गई राशि से 22% अधिक है। यह सुधार वसूली के विशेष तरीकों में बदलाव और नई वाणिज्यिक नीति को अपनाने से हुआ। मुख्य बकायादरों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड तथा जम्मू व कश्मीर शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने 6 विद्युत बोर्डों के साथ विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए।

निगम को भारत सरकार के साथ वर्ष 1997-98 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अधीन "उत्कृष्ट" श्रेणी प्राप्त हुई है।

390 मे.वा. की दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर) पर कार्य ने शेष सिविल कार्यों के लिए नये सिविल ठेकादार द्वारा कार्य शुरु कर देने पर निर्माण कार्य ने तेजी पकड़ ली है। सिक्किम में 60 मे.वा की रंगित जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। इस परियोजना में मुख्य उपलब्धि हैडरेस टनल के कार्य को पूरा करना रही है। बांध के लिए खुदाई पूरी कर ली गई है और कंक्रीटिंग का कार्य हाथ में लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में 280 मे.वा. की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना चरण-I के बुनियादी ढांचे और पूर्व निर्माण के कार्यकलाप शुरु कर दिए गए हैं। मुख्य सिविल कार्यों, हाइड्रो-मेकेनिकल और इलैक्ट्रो-मेकेनिकल कार्यों के निर्माण के लिए ठेकोदारों से पूर्व-योग्यता निविदाएं प्राप्त हो गई हैं।

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में कोयल कारो परियोजना के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मुख्य हिस्सों पर निवेश के लिए निर्णय लम्बित होते हुए भी कार्य शुरु करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

निगम ने हिमाचल प्रदेश में 300 मे.वा की चमेरा चरण-II परियोजना के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस दौरान विद्युत मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरु करने के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग परियोजना से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए कालपोंग नदी की दायीं शाखा को मोड़ने के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही इस परियोजना की क्षमता 2.25 मे.वा. से बढ़कर 5.25 मे.वा. हो गई है और इसका निष्पादन एन.एच.पी.सी. डिपाजिट कार्य के रूप में कर रहा है। एन.एच.पी.सी. ने अंडमान व निकोबार सरकार के साथ 15.7.98 को करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व काश्मीर) - संचालनरत् टी.बी.एम.

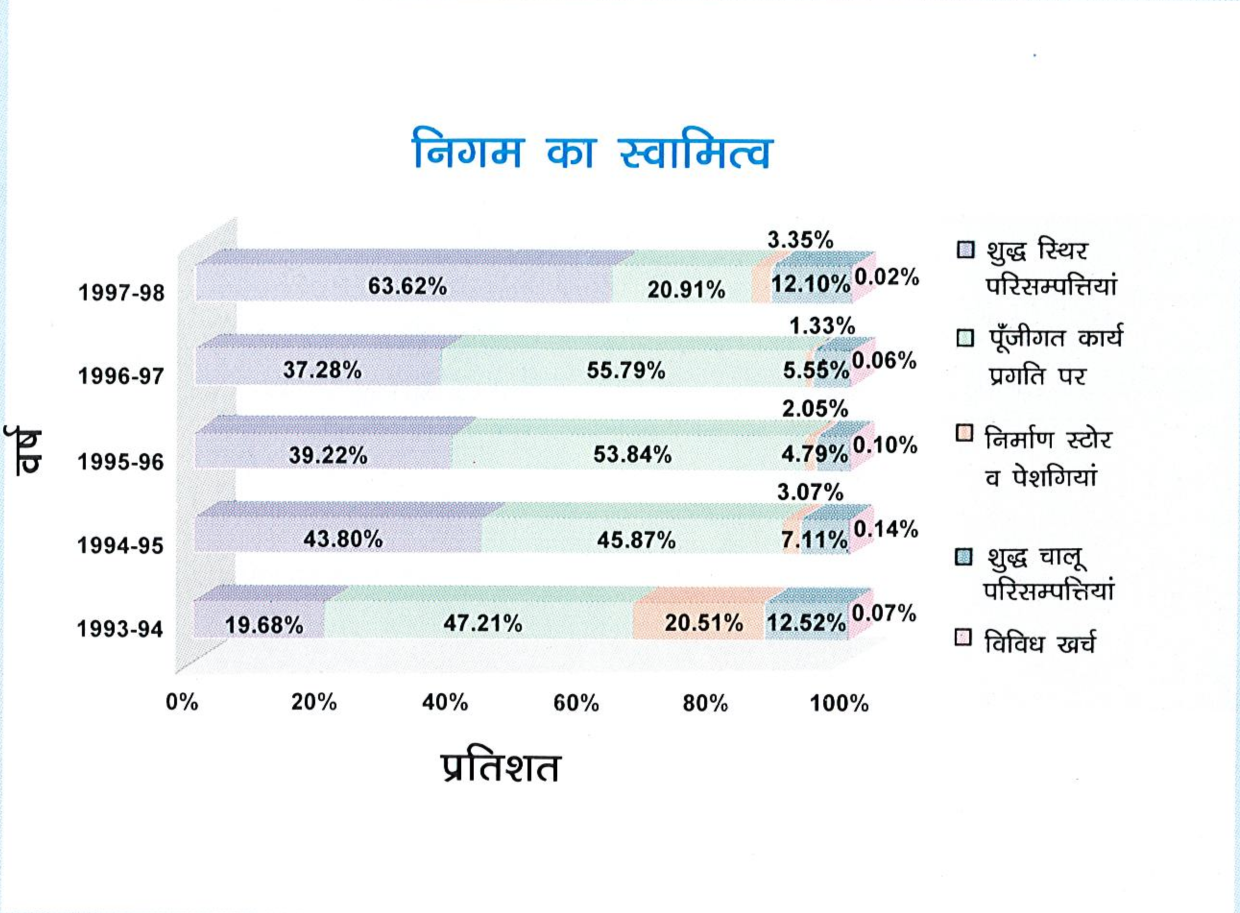

भूटान में 45 मे.वा. की कुरिचू परियोजना पर कार्य ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति की है। डाइवर्शन टनल की खुदाई का कार्य 14 नवंबर, 1997 को पूरा कर लिया गया। इसके साथ-साथ मुख्य बांध और पावर हाउस के निर्माण कार्य भी शुरु हो गए हैं। सिक्किम में 510 मे.वा. की तीस्ता चरण-5 के पूर्व-निर्माण अन्वेषण कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं।

निगम ने पवन तथा ज्वारीय विद्युत विकास के क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया है। तमिलनाडु में 25 मे.वा. के पवन ऊर्जा फार्म के लिए बोलियां हाल ही में आमंत्रित की गई हैं।

निगम मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन की योजना बना रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एन.एच.पी.सी. ने 218 लाख रुपए की कीमत की विभिन्न परामर्शी सेवाएं हाथ में ली हैं।

निगम की जुलाई, 1998 को प्रदत्त पूंजी 3075.19 करोड़ रुपए हो गई। हाल ही में निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 3500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है।

निदेशकों ने शेयर-धारकों के लिए 15 करोड़ रुपए के एक मुश्त लाभांश की सिफारिश की है।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई जल विद्युत विकास नीति से देश की जल विद्युत संभाव्यता के दोहन को बल मिलने की आशा है। एन.एच.पी.सी. ने 10वीं योजना में जल विद्युत हिस्से को बढ़ाने के लिए 9वीं योजना के दौरान बहुत सी नई योजनाओं को शुरु करने के लिए पहचान की है। निगम 15 वर्षीय सापेक्ष योजना को अंतिम रूप देने के लिए भी कार्यरत है।

9वीं योजनावधि के दौरान एन.एच.पी.सी. के लिए 8377.89 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। फिर भी, इस परिव्यय के और बढ़ने की संभावना है क्योंकि निगम और अधिक नई परियोजनाएं हाथ में लेगा ।

निगम ने मानव संसाधन विकास पर भी बल दिया है। वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के

लिए लगभग 6226 दिवसों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कर्मचारी कल्याण के एक भाग के रूप में निगम ने महिला कर्मचारियों के हितों की देखभाल के लिए एक महिला सैल गठित किया है। निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना भी आरंभ की है। निगम ने अपने संगठन तथा अपनी जनशक्ति की निरंतर प्रगति पर ध्यान देते हुए वर्ष 1997 में अपने कर्मचारियों के लिए नई पदोन्नति नीति लागू की है। निगम ने अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के अंतर्गत 51 प्रशिक्षु इंजीनियरों (विद्युत), 22 कनिष्ठ इंजीनियरों (विद्युत) तथा एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के 214 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए विकल्प दिया।

निगम पूरी तरह औद्योगिक शांति बनाए रखने में सफल रहा है तथा पूरे वर्ष एक भी मानव दिवस की हानि नहीं हुई। निगम में राजभाषा की प्रगति बढ़ाने के लिए निगम मुख्यालय के साथ-साथ परियोजनाओं में भी सभी संभव प्रयास किए गए।

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं मनाने के लिए निगम द्वारा निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मैं, निदेशक मण्डल की ओर से भारत सरकार मुख्यत: विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण व वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग और साथ ही साथ राज्य सरकारों के क्षेत्रीय व राज्य बिजली बोर्डों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय निवेशकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को एन.एच.पी.सी. पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारे पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोक्ता राज्यों की भी मैं विशेष सराहना करता हूँ।

मैं, एन.एच.पी.सी. के सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों के त्याग और समर्पण की भावना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके कारण निगम को वर्ष के दौरान उत्कृष्ट निष्पादन करने में सफलता मिली है।

मैं, निदेशक-मण्डल के सभी निदेशकों का उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश और अद्वितीय सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ जिसके कारण इस निगम को सभी क्षेत्रों में चहुमुखी और उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करने में मदद मिली है।

(योगेन्द्र प्रसाद)

दिनांक : 18.9.1998

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

परियोजना (हिमाचल प्रदेश) - स्यूल वीयर

निदेशकों की रिपोर्ट

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31.3.1998 को समाप्त लेखा-परीक्षित लेखों सहित सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन

निगम की वर्ष 1997-98 में मूल्यह्रास के मुकाबले पेशगी सहित सकल बिक्री पिछले वर्ष के 531.42 करोड़ रुपए की तुलना में 1123.48 करोड़ रुपए की रही।

निगम ने पिछले वर्ष के 106.68 करोड़ रुपए की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, पूर्वावधि समायोजन के बाद 299.42 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ में बढ़ोत्तरी मुख्यतयः उड़ी जल विद्युत परियोजना के वाणिज्यिक आधार पर शुरू हो जाने, टनकपुर परियोजना को छोड़कर, सभी संचालित परियोजनाओं में लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन होने और संचालित परियोजनाओं के लिए संशोधित टैरिफ नीति के कारण हुई।

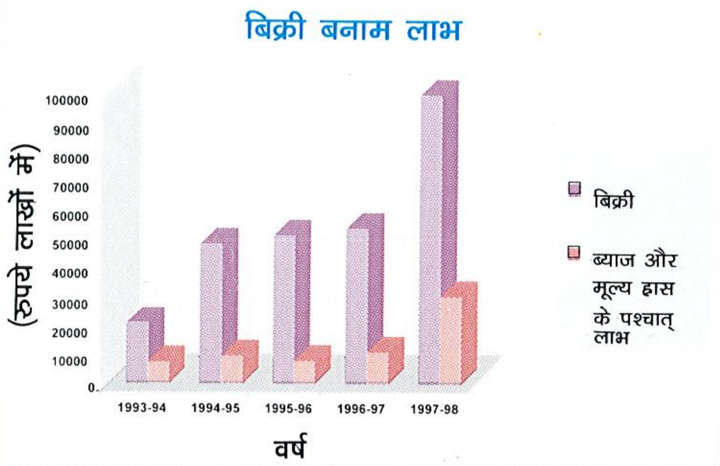

वर्ष	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
बिक्री	20619	47810	50913	53442	99297
ब्याज और मूल्य ह्रास के पश्चात् लाभ	7054	9367	7737	10668	29942

वित्तीय परिणाम	(लाख रुपए में)	
	1997-98	1996-97
मूल्यह्रास, ब्याज और वित्तीय प्रभारों से पूर्व लाभ	78081	46049
ब्याज और वित्तीय प्रभार	43567	26334
मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	34514	19715
मूल्यह्रास	11395	11106
ब्याज और मूल्यह्रास के बाद वर्ष के लिए लाभ	23119	8609
पूर्वावधि समायोजन	6823	2059
पूर्वावधि समायोजन के बाद वर्ष के लिए लाभ	29942	10668
जोडें :		
निवेश भत्ता (उपयोग किया गया), रिज़र्व अपेक्षित नहीं	-	2345
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	7183	6488
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	37125	19501
विनियोजन :		
(i) पूंजी रिजर्व को स्थानांतरित	6	-
(ii) बॉड्स री-डैम्पशन रिजर्व	15500	10668
(iii) प्रस्तावित लाभांश	1500	1500
(iv) लाभांश पर आयकर के लिए प्रावधान	150	150
(v) तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	19969	7183

पिछले वर्ष के अंत में 708.08 करोड़ रुपए की तुलना में 31.3.1998 तक विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों की ओर 77.34 करोड़ रुपए के प्रावधान को छोड़कर, 1298.16 करोड़ रुपये की कुल राशि बकाया हो गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने छः राज्य बिजली बोर्डों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

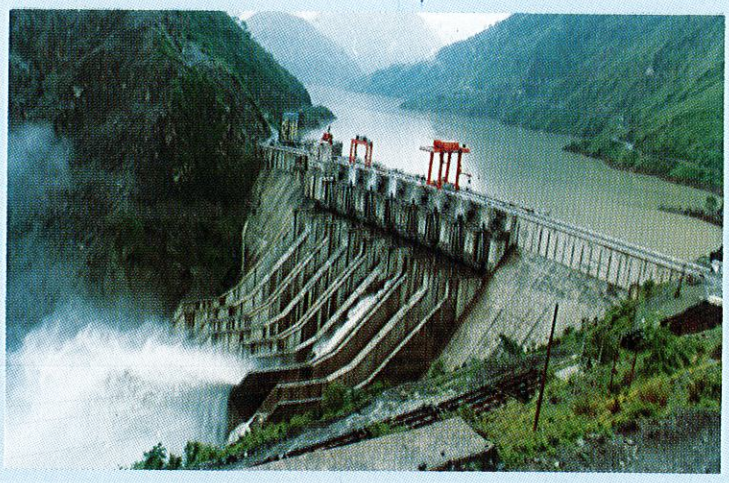

540 मेगावाट चमेरा परियोजना (हि.प्र.) - कंक्रीट बांध

2. कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

वर्ष के दौरान निगम की संचालित परियोजनाओं से 7710 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में ट्रॉयल रन के दौरान 226.22 मिलियन यूनिट के उत्पादन सहित वास्तविक बिजली उत्पादन 8815.76 मिलियन यूनिट हुआ, जो लक्ष्य से 14.34% अधिक है।

3. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

1. उड़ी जल विद्युत परियोजना (4 x 120 मे.वा.) - जम्मू -कश्मीर

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परियोजना में दिनांक 1.6.97 से वाणिज्यिक आधार पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।

पावर स्टेशनों का निष्पादन (मिलियन यूनिट में)

क्रम सं.	पावर स्टेशन	1996-97 वास्तविक	31.3.98 को संस्थापित क्षमता (मे.वा. में)	1997-98 लक्ष्य	वास्तविक	उपयोगिता क्षमता	1998-99 वर्ष के लिए	1998-99 जुलाई 98 तक वास्तविक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	बैरा स्यूल	545	198	750	779.76	103.97	750	447.90
2.	लोकतक	497	105	450	533.86	118.64	450	180.23
3.	सलाल चरण-I व-II	2305	690	2850	2993.46	96.56 #	2800	1472.50
4.	टनकपुर	383	120	460	426.25*	92.66	420	167.89
5.	चमेरा चरण-I	1884	540	1700	1916.56	115.18	1700	1097.90
6.	उड़ी	85@	480	1500	2165.79@	99.06**	2400	1240.76
	कुल	**5699**	**2133**	**7710**	**8815.76**		**8520**	**4607.24**

\# डिजाइन ऊर्जा पर गणना की गई।

@ ट्रॉयल रन के दौरान वर्ष 1996-97 और 1997-98 में उत्पादन क्रमशः 85 मिलियन यूनिट और 226.22 मिलियन यूनिट रहा।

* टनकपुर परियोजना में बिजली उत्पादन में कमी का कारण मानूसन के दौरान बड़ी मात्रा में बह कर आई सिल्ट थी, जिसके कारण मशीनों को बलात् बंद करना पड़ा और पावर चैनल में रिसाव शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप पावर स्टेशन को पावर चैनल की मरम्मत के लिए बंद करना पड़ा।

** उड़ी परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता की गणना जून, 1997 से की गई है, जब इस स्टेशन को वाणिज्यिक आधार पर संचालित किया गया था।

2. दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3x130 मे. वा.) -जम्मू व कश्मीर

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सिविल के बकाया कार्यों के लिए ठेका अवार्ड होने के बाद मार्च, 1997 के महीने से तत्काल पुनः कार्य शुरू हो गए।

भारी मात्रा में पानी के घुस आने, प्रतिकूल भूगर्भीय स्ट्रेटा और टी.बी. एम. के ब्रेकडाउन के कारण हेडरेस टनल के कार्यों की प्रगति को धक्का लगा। हैडरेस टनल में 10,600 मीटर में से 4460 मीटर की खुदाई की गई। पावर हाऊस में खुदाई का कार्य पूरा हो गया। यूनिट-3 की स्पाइरल केसिंग नीचे उतार दी गई है और यूनिट-2 के लिए डी.टी. लाइन का उत्थापन कार्य जुलाई, 1998 तक पूरा कर लिया गया।

इस परियोजना को हर प्रकार से मार्च, 2001 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व काश्मीर) - निर्माणाधीन कंक्रीट बांध

3. रंगित जल विद्युत परियोजना (3x20 मे.वा.)-सिक्किम

यह परियोजना पूरा होने के अंतिम चरण में है। सभी घटकों के कार्यों पर अच्छी प्रगति चल रही है और कार्यों की प्रगति को और तेज करने के प्रयास जारी हैं। बांध की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त बांध में 72,000 क्यूबिक मीटर की कुल प्लेसमेंट में से 32,500 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट प्लेसमेंट का कार्य पूरा हो गया है। जहां तक हेडरेस टनल का संबंध है, 2.853 कि.मी.की कुल लम्बाई में से 2.8134 कि.मी. की प्रगति पूरी कर ली गई है।

60 मेगावाट रंगित परियोजना (सिक्किम) - यूनिट-2 के जनरेटर बैरल का उत्थापन

डिस्लिटिंग चैम्बर की बैंचिंग और प्रैशर शॉफ्ट के हॉरिजोंटल एण्ड वर्टिकल पोर्शन के लिए स्टील लाइनर का उत्थापन कार्य भी प्रगति पर है। पावर हाउस में यूनिट-1, 2 व 3 के ऊपर पिटलाइनर तक उत्थापन कार्य सहित सर्विस-बे का कार्य हर प्रकार से पूरा हो गया है। सभी तीन यूनिटों की ड्राफ्ट ट्यूब और स्क्रॉल केसिंग के उत्थापन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी तीन यूनिटों के लिए स्टेटर कोर का निर्माण हो चुका है और स्थल पर सभी उपस्कर पहुंच चुके हैं। इस परियोजना को मार्च, 1999 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

4. धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-I) (4x70 मे.वा.) - उत्तर प्रदेश

बुनियादी ढाँचे और पूर्व-निर्माण गतिविधियों के कार्य शुरू हो गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, पहुंच मार्ग और परिवहन सड़कों के अलावा अस्थायी आवास, पुश्तों (बेंचिज़) का विकास और संरक्षण जैसे कार्यों की अनेक गतिविधियों को हाथ में लिया गया है। टनकपुर-तवाघाट सड़क के विकास का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। वन-मंजूरी की अपेक्षा के चलते फरवरी, 1998 से कार्य बंद पड़ा है। तथापि, ड्रेनों आदि का निर्माण कार्य जारी है। एक वास्तुकार (आर्किटेक्ट) की नियुक्ति कर ली गई है और तपोवन और दोबात में स्थायी कालोनी के लिए आयोजना, वास्तुशिल्पीय और निर्माण की ड्राइगें प्रस्तुत कर दी गई हैं और कार्य प्रगति पर है। वन और रक्षा (डिफेंस) भूमि

का भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। नीगालपाणि, तपोवन और दोबात में निजी भूमि का कब्जा ले लिया गया है।

उपायुक्त, कुमाऊं के अवार्ड के अनुसार, 13.95 हेक्टेयर पैमाइश की निजी भूमि, जो डूब क्षेत्र के अंतर्गत है, के लिए मुआवजे की कुल राशि में से 80% राशि को प्रभावित परिवारों में बांटा जा चुका है। पावर हाउस में 3.025 हेक्टेयर पैमाइश की निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयास जारी हैं।

मुख्य सिविल कार्यों, हाइड्रो-मैकेनिक और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों से संबंधित ठेकेदारों के लिए पूर्व-अर्हता प्राप्त टेंडर अगस्त, 1998 में प्राप्त हो चुके

60 मेगावाट रंगित परियोजना (सिक्किम) - स्विचयार्ड ढांचे का उत्थापन

हैं। इस परियोजना को सितम्बर, 2004 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

5. कोयल कारो जल विद्युत परियोजना (710 मे.वा.) -बिहार

जैसाकि पहले बताया जा चुका है, यह परियोजना धन की कमी और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण शुरू नहीं हो सकी है। परियोजना की वित्तीय सहायता के लिए ओ.ई.सी.एफ से बातचीत चलाई गई थी, परन्तु उनका प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक नहीं था।

बाद में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पश्चिमी बंगाल में पुरूलिया जल विद्युत परियोजना के विचारार्थ आने के बाद भी इस परियोजना के निष्पादन को उचित ठहराया है और परियोजना के निष्पादन के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज विद्युत मंत्रालय को भिजवा दिए हैं।

इस बीच केन्द्रीय अधिकार-सम्पन्न समिति (सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी) ने फरवरी, 1997 में इस परियोजना पर इससे आगे के व्यय को रोकने के लिए सिफारिश कर दी और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति के लिए एक (सी.सी.ई.ए.) ड्राफ्ट नोट तैयार किया गया है तथा इसे विद्युत मंत्रालय को परियोजना के ऊपर से आगे की व्यय संबंधी रोक हटाने और आठ वर्षों के मूल कार्यक्रम के मुकाबले बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक वर्ष की समयावधि सहित, सात वर्षों के भीतर परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम के साथ कार्य को शुरू करने हेतु अनुमोदन की बहाली के लिए प्रस्तुत किया गया है बशर्ते कि इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। तथापि, विद्युत मंत्रालय की सलाह के अनुसार मंत्रालय को अद्यतन ड्राफ्ट पी.आई.बी. मीमों प्रस्तुत किया गया है। इस बीच विद्युत मंत्रालय ने पूर्व-निर्माण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

6. चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-II) (3x100 मे.वा.) - हिमाचल प्रदेश

वित्तीय सहायता के साथ टर्नकी निष्पादन के लिए टेंडर प्राप्त हो गए हैं और विचार-विमर्श के अनेक दौरों के पश्चात् भी स्वीकार्य परियोजना लागत के रूप में परिणाम नहीं निकला। एन.एच.पी.सी. के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव (ऑफर) को अस्वीकार्य पाया है। विद्युत मंत्रालय ने सलाह दी है कि लागत कम करने के लिए इससे आगे की वार्ता की जाए। पी.आई.बी. की बैठक 28.7.1997 को हुई थी। पी.आई.बी. ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से नई टी.ई.सी. प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है और देशी वित्तकर्ताओं और सप्लायरों द्वारा वित्त-पोषण करने संबंधी पैकेज की संभावना तलाशने को कहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 28.7.98 को नई टी.ई.सी. प्रस्तुत कर दी है, जिसकी सूचना औपचारिक रूप से एन.एच.पी.सी. को दे दी गई है। इस बीच एन.एच.पी.सी. ने भारत सरकार से 600 करोड़ रू. की शुद्ध बजटीय सहायता के वित्तीय पैकेज के साथ एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस बीच विद्युत मंत्रालय ने पूर्व-निर्माण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

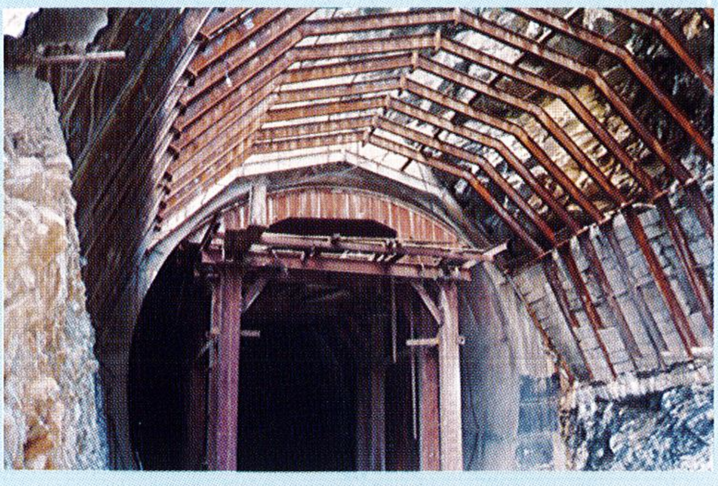

45 मेगावाट कुरिचु परियोजना (भूटान) - डाइवर्शन टनल आऊटलेट

7. कैलपोंग जल विद्युत परियोजना 5.25 (3x1.75 मे.वा.)- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

इस परियोजना के निष्पादन का कार्य डिपॉजिट कार्य के तौर पर एन.पी.सी. को सौंपा गया है, जिसके लिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के प्राधिकारियों द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लए नदी के दाएं किनारे को मोड़ने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना की क्षमता 2.125 मे.वा. के मौजूदा स्तर से एक यूनिट को स्टैंडबाई के तौर पर तैयार रखने सहित 5.25 मे.वा. (3x1.75 मे.वा.) तक बढ़ा दी है।

कंक्रीट बांद के आधार (एबटमेंट) पर जुलाई, 1998 तक 6400 क्यूबिक मीटर स्ट्रीपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। पावर हाउस क्षेत्र में 2400 क्यूबिक मीटर खुदाई पूरी हो गई है। पेनस्टॉक एलाइनमेंट पर 3900 क्यूबिक मीटर की खुदाई पूरी हो गई है। सैड्डल डाइक की स्ट्रीपिंग में 900 क्यूबिक मीटर की फाऊंडेशन का कार्य पूरा हो गया है। स्थल पर आवश्यक टेस्टिंग उपस्कर और सामग्री पहुंच जाने के बाद, सी.एस.एम.आर.एस. टीम ड्रिफ्ट में रॉक मैकेनिक टेस्ट शुरू करने के लिए परियोजना का दौरा करेगी।

अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा 8.87 हेक्टेयर भूमि पहले ही आबंटित की जा चुकी है और एनएचपीसी ने इसका कब्जा ले लिया है।

बांध स्थल तक जाने वाली पहुंच सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। पावर हाउस को जाने वाली पहुंच सड़क के कालरा नाले पर एक छोटे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दूसरे पुल का कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना को अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ करार पर हस्ताक्षर करने (यानी 15.7.1998) के बाद 51 महीनों के भीतर पूरा करने का कार्यक्रम है।

8. कुरिचु जल विद्युत परियोजना (3x15 मे.वा.), भूटान

कुरिचु जल विद्युत परियोजना एचएचपीसी को सितम्बर, 1995 में टर्नकी आधार पर निष्पादन करने के लिए सौंपी गई थी। इस परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान जा रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे और पूर्व-निर्माण की गतिविधियां संतोषजनक ढ़ग से प्रगति कर रही हैं। डाइवर्शन टनल में 14 नवंबर, 1997 को प्रकाश किया गया था। मुख्य बांध और पावर हाऊस के निर्माण का कार्य क्रमशः मैसर्स एचसीसी और मैसर्स गैमन इंडिया लि. को अवार्ड किया जा चुका है। मुख्य जनरेटिंग उपस्करों के लिए मैसेर्स भेल को आपूर्ति आदेश दे दिया गया है। सिविल कांट्रेक्ट पैकेज और इलैक्ट्रिकल कांट्रेक्ट पैकेज के लिए इंजीनियरिंग कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को सितम्बर, 2001 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

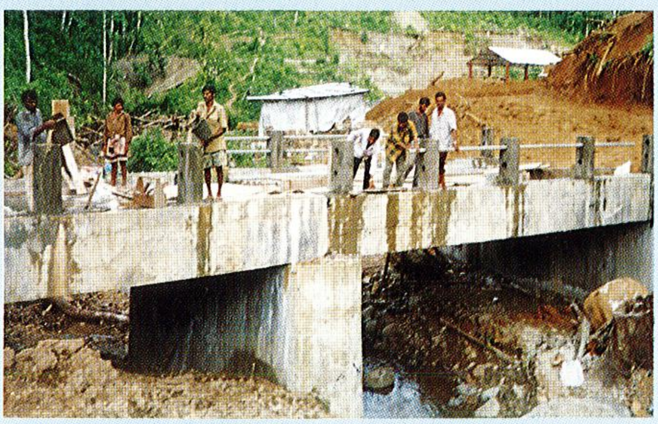

5.25 मेगावाट कैलपोंग परियोजना (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) - निर्माणाधीन पुल

9. **तीस्ता जल विद्युत परियोजना (चरण-5) (510 मे.वा.)- सिक्किम**

सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी पर पहचानी गई छः हाइड्रो पावर योजनाओं में से तीस्ता जल विद्युत परियोजना (चरण-5) एक है और इसकी संस्थापित क्षमता 510 मे.वा. की होगी. जिससे 90% आश्रित वर्ष में 2573 मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आई.डी.सी. के 477.31 करोड़ रु. सहित मार्च, 1993 के मूल्य स्तर पर 1925.44 करोड़ रु. की अनुमानित लगत के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने एनएचपीसी के माध्यम से परियोजना निष्पादन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की पूर्व-निर्माण अन्वेषण गतिविधियों के कार्य पूरे हो गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए डी.पी.आर. को अद्यतन करके भेजा जा चुका है। पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की प्रतीक्षा है।

10. **लोकतक डाउन स्ट्रीम जल परियोजना (90 मे.वा.) - मणिपुर**

मणिपुर में जल विद्युत पावर क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से इस परियोजना को 9वीं योजना के दौरान हाथ में लिया जा सकेगा, बशर्ते कि परियोजना लागत के लिए बजटीय सहायता पर्याप्त रूप में उपलब्ध कराई जाए।

4. सर्वेक्षण और अन्वेषण

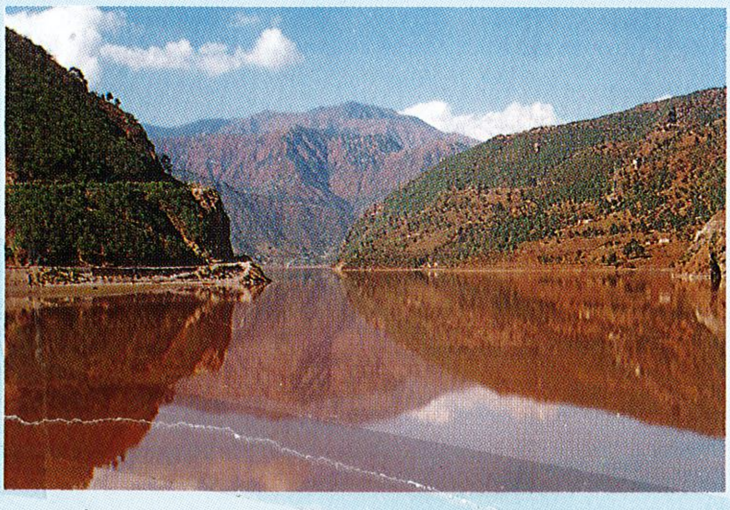

690 मेगावाट सलाल कॉम्पलेक्स (जम्मू व काश्मीर) - जलाशय

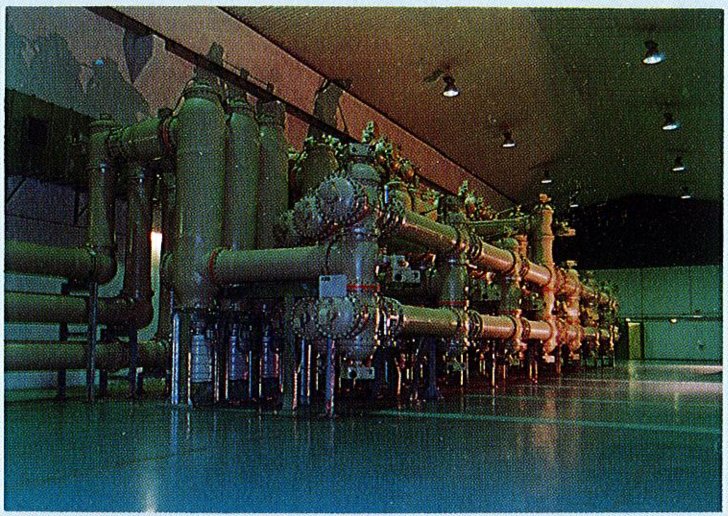

480 मेगावाट उड़ी परियोजना (जम्मू व काश्मीर) - गैस इंसुलेटिड स्विचगियर

(1) **धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, मध्यम चरण (3x70 मे.वा.) - उत्तर प्रदेश**

निगम ने तकनीकी-आंथक मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(2) **गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-I, 3x20 मे.वा.) और चरण-II (4x40 मे.वा.), उत्तर प्रदेश**

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि इस परियोजना की आयोजना प्रक्रिया को पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी होने तक टाल दिया जाए।

(3) **गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-III·क) (3x40 मे.वा.) और (चरण-III-ख) (2x10 मे.वा.), उत्तर प्रदेश**

अन्वेषण कार्य पूरे हो गए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्रधिकरण से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की अभी भी प्रतीक्षा है।

5. पवन और ज्वारीय पावर

निगम ने अपने मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खण्ड (ऑब्जेक्ट क्लॉज) में पवन और ज्वारीय पावर स्टेशनों और परियोजनाओं के निष्पादन, निर्माण, जनरेशन, रख-रखाव और पवन व ज्वारीय पावर की बिक्री को भी शामिल किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, देश में पवन और ज्वारीय पावर के निर्माण, जनरेशन और वितरण के लिए पवन और ज्वारीय पावर की संभाव्यता की पहचान करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

6. लघु और अतिलघु जल विद्युत परियोजनाएं

निगम तमिलनाडु में लघु/अतिलघु जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन की भी योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, शारदा घाटी (उत्तर प्रदेश), सिक्किम और बिहार राज्य में लघु जल विद्युत पावर परियोजनाओं के निर्माण का मामला भी संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि निगम को बिहार राज्य में चार परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो जांच-पड़ताल के अधीन है।

7. परामर्शी सेवाएं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम को 218 लाख रुपए की कीमत की विभिन्न परामर्शी सेवाएं देने का कार्य मिला है। जिन संगठनों को परामर्शी सेवाएं प्रदान की गई, वे हैं-उत्तर रेलवे, टिहरी हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू व कश्मीर राज्य पावर डेवेल्पमेंट कारपोरेशन, पश्चिमी बंगाल पावर डेवेल्पमेंट कारपोरेशन और आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड। सीमा सड़क संगठन के साथ जवाहर टनल की ईस्टर्न ट्यूब के निर्माण और सुपुर्द कार्य के लिए विचार-विमर्श पूरा हो गया है और इसके लिए शीघ्र ही कार्य अवार्ड होगा।

हाइड्रो पावर में परामर्शी सेवाओं को प्रदान करने के कार्य क्षेत्र को देखते हुए, निगम भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. के माध्यम से प्रवेश करने की योजना बना रहा है।

8. पूंजीगत ढांचा

निगम की वर्तमान प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 3500 करोड़ रूपए की थी। हाल ही में भारत सरकार ने 3500

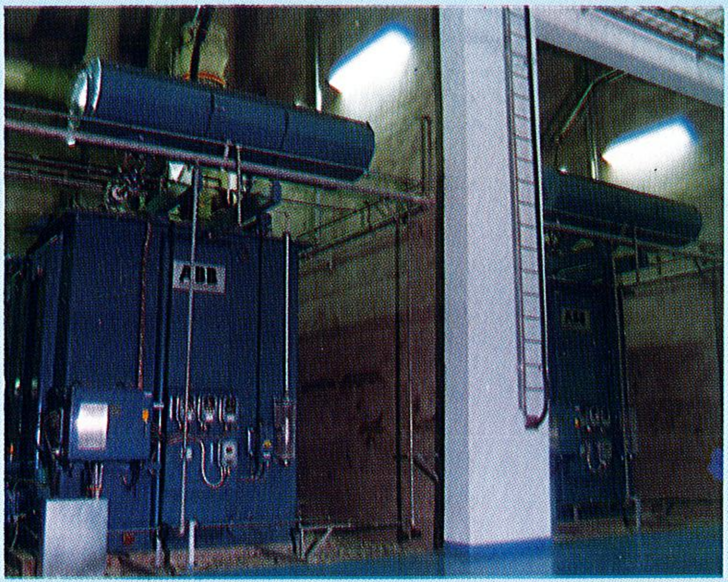

480 मेगावाट उड़ी परियोजना (जम्मू व काश्मीर) - ट्रांसफार्मर

करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से 5000 करोड़ रुपए तक प्राधिकृत हिस्सा पूंजी बढ़ाने के बारे में अपनी स्वीकृति दिनांक 3.8.1998 के आदेश संख्या 16/51/97-डी.ओ. द्वारा सूचित कर दी है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है।

जुलाई, 1998 को प्रदत्त हिस्सा पूंजी 3075. 19 करोड़ रुपए थी।

9. प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने 15 करोड़ रुपए के लाभांश की एक मुश्त राशि के लाभांश की सिफारिश की है, बशर्ते कि शेयर धारकों की आम बैठक में इसका अनुमोदन हो जाए।

10. बॉण्ड

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने बैकों और वित्तीय संस्थानों से कुल 400 करोड़ रुपए के सावधिक ऋण

बिक्री बनाम मूल्य संवर्द्धन

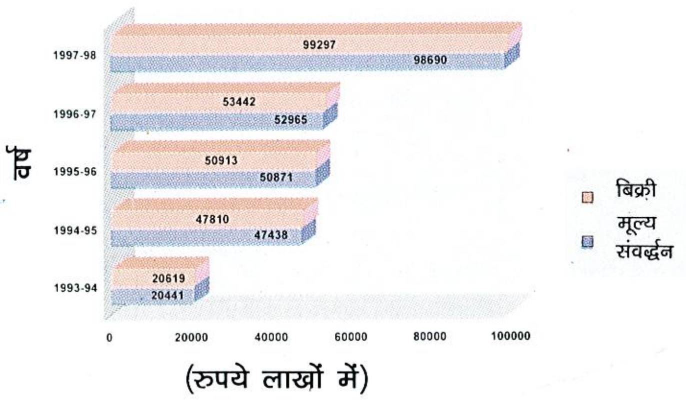

वर्ष	मूल्य संवर्द्धन का प्रतिशत
1993-94	99.14%
1994-95	99.22%
1995-96	99.74%
1996-97	99.11%
1997-98	99.39%

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति पर

लिए हैं और 13% ''एफ'' सीरीज़ वाले बॉण्डों की 215 करोड़ रुपए की राशि और 9% कर-रहित ''बी'' सीरीज़ बॉण्डों की 78 करोड़ रुपए की राशि को सफलतापूर्वक चुकता कर दिया है। इन दो सीरीज़ के बॉण्डों के विमोचन के साथ, 31.3.1998 को ब्याज उपचित राशि को छोड़कर, बॉण्डों के संबंध में 1931.17 करोड़ रुपए की बकाया देयताएं हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने ग्रुप-''सी'' की आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति से संबंधित 17 उम्मीदवारों और अनुसूचित-जन जाति से संबंधित एक उम्मीदवार की नियुक्ति की है।

12. एन.एच.पी.सी. की पर्यावरणीय वचनबद्धता

नाजुक क्षेत्रों की पहचान करने के बाद, निगम की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा जीव-विज्ञान संबंधी और इंजीनियरिंग भू-संरक्षण उपायों, जलीय अध्ययन के उजाड़ छोरों की सम्पूरण पुनर्स्थापना वनस्पतीय के एकीकृत बॉयो-तकनीकीय दृष्टिकोण पर आधारित जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन सहित गहन जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य शुरु किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अंडमान व निकोबार में कालपोंग जल विद्युत परियोजना के दाएं किनारे के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ले ली गई है और तीस्ता चरण-5 के लिए ई.आई.ए. और ई.एम.पी. की तैयारी प्रगति पर है।

13. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन को एक अमूल्य सम्पत्ति मानते हुए, निगम में विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और प्रतिष्ठित संगठनों व संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नामित करके उनके विकास और तकनीकी कौशल को प्रोन्नत करने के लिए निरंतर और गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बदलते व्यापारिक माहौल की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कार्यपालकों को वर्ष के दौरान विदेशों में सेमिनारों, कांफ्रेसों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी भेजा गया।

14. कार्मिक और औद्योगिक संबंध

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सभी परियोजनाओं और निगम मुख्यालय में औद्योगिक संबंध सामान्य और शांतिपूर्ण रहे।

15. सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता इकाइयों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। विभिन्न परियोजनाओं में वर्ष के दौरान रोकथाम उपायों के तौर पर 505 नियमित और अचानक निरीक्षण किए गए, जो कि एक रिकार्ड है। सतर्कता मूल्यांकन कार्यक्रम और सतर्कता प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया। ''क्या करें और क्या न करें'' नामक पुस्तिका प्रकाशित कराकर कर्मचारियों के बीच वितरित की गई।

16. राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम मुख्यालय के साथ-साथ परियोजनाओं में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षणार्थियों के बीच सहायक साहित्य भी वितरित किया गया। परियोजनाओं में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने व इसकी समीक्षा करने के लिए समय-समय पर हिंदी अधिकारियों/सहायक हिंदी अधिकारियों की विशेष बैठकें आयोजित की गईं।

राजभाषा अधिनियम के अनुपालन में सभी सामान्य आदेश/परिपत्र, प्रैस विज्ञप्तियां, टेंडर नोटिस आदि द्विभाषी जारी किए गए और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा प्रगति को मॉनीटर करने के लिए निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया। 15 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1997 तक "हिंदी दिवस" / हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया। इसके अतिरिक्त कार्मिक मैनुअल, उड़ी, दुलहस्ती व सलाल परियोजनाओं से संबंधित कैबिनेट नोट, हाइड्रो पावर कमेटी की रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन व वार्षिक रिपोर्ट आदि के हिंदी संस्करण प्रकाशित कराए गए। हिंदी पखवाड़े के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अहिंदीभाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय तौर पर हिंदी सिखाने के लिए हिंदी की प्रबोध/प्रवीण कक्षाएं आयोजित की गईं। कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए हिंदी में "आज का शब्द" व "आज का विचार" लिखने की व्यवस्था की गई।

17. खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियां

एन.एच.पी.सी. ने पावर स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड का एक सदस्य होने के नाते समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नई दिल्ली में बॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। पावर स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न निगमों द्वारा आयोजित अनेक टूर्नामेंटों में एन.एच.पी.सी. की टीम ने भी भाग लिया। निगम ने पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय अंतर विद्युत क्षेत्र सांस्कृतिक आयोजन में भाग लिया। वर्ष के दौरान स्वाधीनता की पचासवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निगम मुख्यालय और परियोजनाओं में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

18. समझौता ज्ञापन

वर्ष के दौरान भारत सरकार और एन.एच.पी.सी. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 11 कार्य-निष्पादन मानदण्डों में से 7 में निगम को उत्कृष्ट श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है। अन्य चार मानदण्डों के संबंध में मशीनें उपलब्ध न होने के कारण निष्क्रियता, नियोजित पूंजी के प्रतिशत के तौर पर सकत मार्जिन और शुद्ध लाभ, परियोजना कार्यन्वयन के लक्ष्य प्राप्त न होने और लाभभोक्ताओं से देयताओं की बहुत कम वसूली होने कारण उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त नहीं की जा सकी।

डॉ. ई.ए.एस. सरमा, तत्कालीन सचिव (विद्युत) और श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करते हुए

19. लेखा परीक्षक

निगम द्वारा वर्ष 1997-98 के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए इस बार भी मैसर्स मोहन एंड मोहन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, फरीदाबाद को ही निगम का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्ति किया गया और मैसर्स एच.एस. आहूजा एंड कम्पनी, नई दिल्ली, मैसर्स ए.केज़ एंड कम्पनी, कलकत्ता को शाखा लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया।

मैसर्स मनमोहन जोगिन्दर एंड एसोसिएट्स, जम्मू को निगम का शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

20. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

निगम द्वारा शामिल विभिन्न टिप्पणियों को दर्शाने वाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुसूची-16 में दी गई है। इनके उत्तर अनुबंध-III में दिए गए हैं जो स्वत: स्पष्ट हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट अनुबंध-II में दी गई हैं।

31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।

21. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेश विनिमय से आय तथा व्यय

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के साथ पठित कंपनी नियम, 1988 (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेश विनिमय से आय व्यय के संदर्भ में जानकारियाँ इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दी गई हैं।

22. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित कंपनी नियम, 1975 (कर्मचारियों का विवरण) के संदर्भ में जानकारियाँ इस रिपोर्ट के अनुबंध-V में दी गई हैं।

23. निदेशक-मंडल

निगम के निदेशक मंडल में पिछली रिपोर्ट के बाद से निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. श्री एस.आर. नरसिम्हन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निगम से दिनांक 30 सितम्बर, 1997 को सेवामुक्त हो गए।
2. श्री योगेन्द्र प्रसाद, निदेशक (परियोजना) ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का 01 अक्तूबर, 1997 से अतिरिक्त कार्यभार सम्भाल लिया और इसके बाद 06 अगस्त, 1998 से वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए।
3. श्री रमेश चन्द्र, सदस्य (डी. एण्ड आर.), केंद्रीय जल आयोग, सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंच जाने के बाद, 31 दिसम्बर, 1997 से निगम के निदेशक नहीं रहे।
4. श्री डी.वी. खेरा, सदस्य (जल-विद्युत), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा श्री ए.बी. जोशी. पूर्व-अध्यक्ष (सेवामुक्त), केंद्रीय जल आयोग की एन.एच.पी.सी.

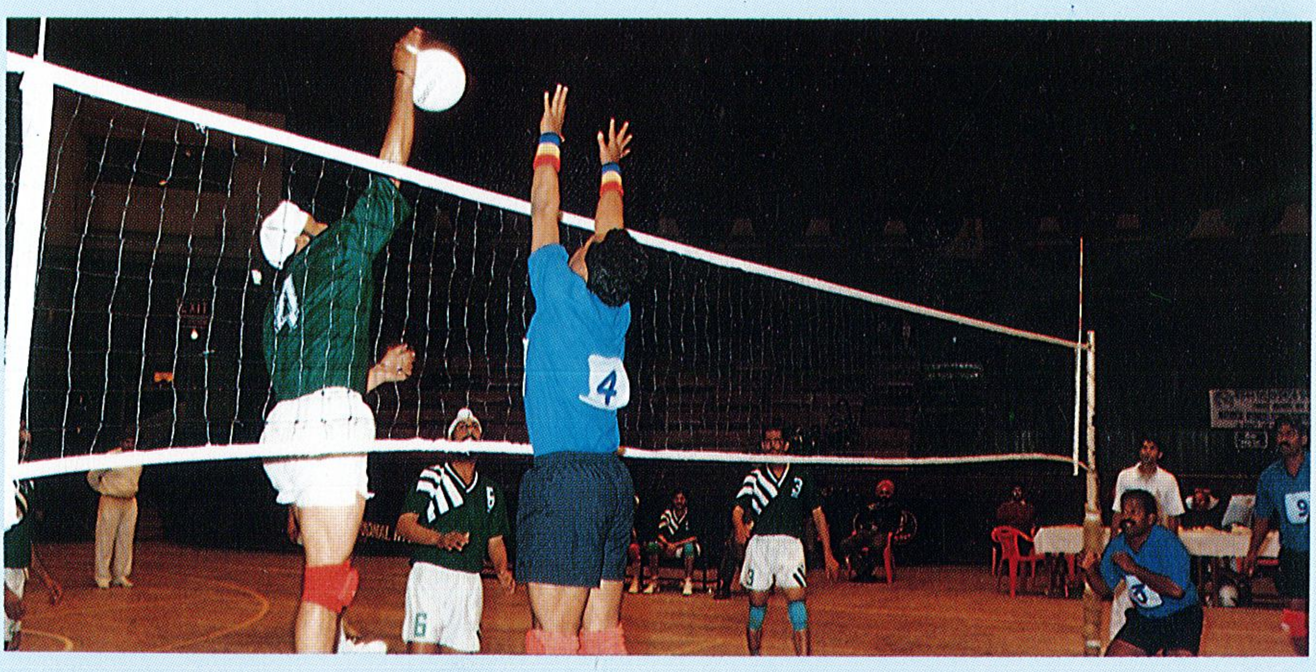

एन.एच.पी.सी. द्वारा आयोजित अंतर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वॉलीबाल टूर्नामेंट

बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के तौर पर क्रमश: 31 अक्तूबर, 1997 एवं 8 दिसम्बर, 1997 से नियुक्ति की गई।

5. श्री एस.आर. नरसिम्हन के अध्यक्ष एवं निदेशक के तौर पर तथा श्री रमेश चन्द्र, सदस्य (डी.एण्ड आर.) केंद्रीय जल आयोग के बोर्ड के सदस्य के तौर पर किए गए सराहनीय योगदान, मार्गदर्शन एवं सुझावों की बोर्ड प्रशंसा करता है और इसे अपने रिकार्ड में दर्ज करता है।

24. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय व राज्य बिजली बोर्डों के सहयोग के लिए कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है।

यह निगम, अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय निवेशकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की एन.एच.पी.सी. पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी आभारी है। निगम, पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोक्ताओं के साथ-साथ अपने अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों, जिन्होंने परामर्शी कार्यों के लिए ठेके देकर एन.एच.पी.सी. पर विश्वास व्यक्त किया है, की भी सराहना करता है।

इसके साथ ही बोर्ड निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग से निगम की उपलब्धियाँ सम्भव हो सकी हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 18.9.1998
फरीदाबाद

राजस्व का विश्लेषण 1997-98
(पूर्व अवधि समायोजन के पहले)

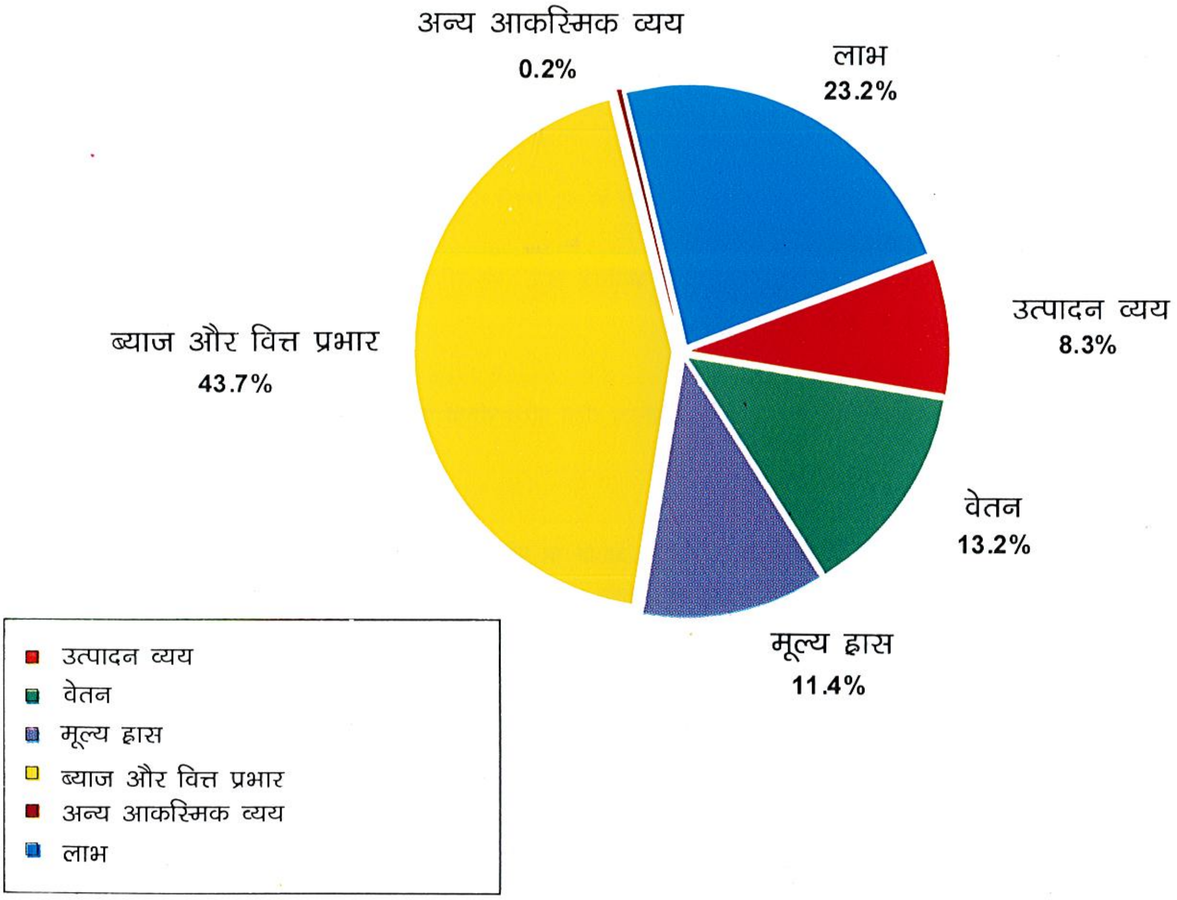

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा पद्धति

1.1 वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार की जाती हैं।

1.2 देनदारों से वसूली अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, परामर्शी सेवाओं से हुई आय और एलटीसी नकदीकरण के कारण हुए खर्च के मामलों को छोड़कर, राजस्व और खर्च सामान्यत: एक्रुअल आधार पर लेखे में दर्शाए गए हैं।

2. स्थिर परिसंपत्तियाँ

2.1 स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण की लागत के आधार पर किया गया है फिर भी, जहाँ ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के जमा न होने/समायोजन के अभाव में वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, उन्हें अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है। स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए बाहरी एजेंसियों से प्राप्त हिस्सा, यदि कोई हो, तो उसे शुद्ध रूप में दर्शाया गया है।

2.2 निगम की स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसम्पत्तियों को स्थिर परिसम्पत्तियों के अंतर्गत ही दर्शाया गया है।

2.3 भूमि के मुआवजे और अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 परियोजनाओं में सहायता अनुदान/ऐजेंसी अथवा जमा आधार पर खरीदी/सृजित परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनका स्वामित्व अधिकार निगम के पास नहीं है।

2.5 परियोजनाओं में अतिरिक्त घोषित किए गए उपस्करों को अंकित मूल्यों/शुद्ध आंकी गई कीमतों से कम दर्शाया गया है।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव व उत्थान आदि पर हुए खर्च को ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' में डाला गया है।

3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने पर ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' की पूरी राशि भूमि व ढांचागत कार्यों को छोड़कर, परियोजना के अचल मुख्य घटकों पर डाली गई है।

4. विविध खर्च

वाणिज्यिक संचालन शुरु होने के बाद निगम की स्वामित्व रहित परिसम्पत्तियों पर हुआ खर्च 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन

5.1 लीज होल्ड भूमि की किश्तों को लीज की अवधि के आधार पर परिशोधित किया गया है।

5.2 (क)मूल्यह्रास विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित निर्धारित दरों पर सीधे तौर पर चार्ज किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जिन परिसंपत्तियों के लिए दरें निर्धारित नहीं की गई हैं उन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित दरों के अनुसार सीधे तौर पर दिया जाता है।

(ख)स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को उपयोग में लाए जाने वाले वर्ष के बाद से दिया जाता है।

5.3 ऐसी परिसम्पत्तियों, अचल परिसम्पत्तियों को छोड़कर, जिनकी वास्तविक लागत/डब्लू.डी.वी. 5000 - या इससे कम है का वर्ष के प्रारंभ में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

6. माल सूचियों का मूल्यांकन

6.1 स्टोर तथा अतिरिक्त पुर्जो का मूल्यांकन लागत के अनुसार किया गया है।

6.2 अतिरिक्त औजारों के किसी एक वस्तु की लागत 5000/- या इससे कम लागत को उपभोग लेखे में डाला गया है। अन्य मामलों में 5 वार्षिक बराबर किश्तों में लागत को बट्टे खाते डाला गया है।

6.3 वर्ष के दौरान संचालित परियोजनाओं को संचालन व रख रखाव के लिए जारी किए गए स्टोरों, जो स्थल पर अनुप्रयोग पड़े हैं, का इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकन किया गया है और स्टोरों के तौर पर लिया गया है।

7. विनिमय अस्थिरता

विदेशी मुद्रा ऋणों को शेष वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार रुपांतरित/परिवर्तित किया गया है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मामले में इसके अंतर को चालू पूंजीगत कार्य/स्थिर परिसम्पत्तियों में डाला गया है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मामले में इस अंतर को चालू पूँजीगत कार्य में और चालू परिसम्पत्तियों के मामले में इस अंतर को लाभ व हानि/आई.ई.डी.सी. में डाला गया है।

8. सेवा-निवृत्ति सुविधाएं

वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और छुट्टी भुनाने की व्यवस्था की गई है।

9. निर्माण ठेकों पर लाभ की प्राप्ति

9.1 निर्माण ठेकों पर लाभ की प्राप्ति नीचे दिए अनुसार है:-

(क) अल्पकालिक ठेकों के संबंध में 12 महीने तक की अवधि के ठेके पूरा होने पर।

(ख) दीर्घकालिक ठेकों के संबंध में 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिशत के आधार पर जैसा कि नीचे दिया गया है:-

कार्य-प्रगति	लाभ की प्राप्ति (अनुमानित लाभ की प्रतिशतता)
(क) 66.67% तक	शून्य
(ख) 66.67% से अधिक लेकिन 90% तक	80%
(ग) 90% से अधिक	100%

9.2 हानि, यदि कोई हो, तत्काल स्वीकार की जाती है।

10. निजी बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को ओ.एण्ड एम. परियोजनाओं के सकल ब्याज के 0.5% प्रतिवर्ष को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाभ व हानि लेखे को चार्ज करके निजी बीमा रिजर्व लेखे में हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार सृजित किए गए रिजर्व का उपयोग विशेषीकृत आकस्मिकताओं के लिए परिसम्पत्तियों की हानियों के लिए किया जाएगा।

11. विविध

11.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जो प्रमाणित नहीं किए गए हैं, के लिए देयताएं नहीं दी गई हैं क्योंकि इनका निरीक्षण और स्वीकार करने का काम निगम को करना है।

11.2 संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सामान्य दर के अनुसार चार्ज की जाती हैं।

11.3 पूर्व अवधि समायोजन केवल उन संचालनाधीन परियोजनाओं के मामले में किए गए हैं, जिनमें लगी राशि प्रत्येक मामले में 5000/- से अधिक है।

12. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आबंटन

निगम मुख्यालय का खर्च, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल है, नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है:-

i) संचालनात्मक परियोजनाओं के लिए करों, शुल्कों को छोड़कर बिजली की बिक्री और परिवहन प्रभारें 1% की दर से वर्ष के लिए हिसाब में ली गयी हैं।

ii) ठेके के आधार पर परियोजनाओं के निर्माण के मामले में वर्ष के दौरान हुए खर्च के 5% की दर से।

iii) शेष खर्च वर्ष के दौरान शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में अन्य परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

31 मार्च, 1998 का **तुलन पत्र**

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची संख्या		31 मार्च, 1998 को			31 मार्च, 1997 को	
निधियों के स्रोत							
1. हिस्सेदारों की निधियाँ							
क) पूंजी	1		296869			247541	
ख) हिस्सा पूंजी जमा			400			7208	
ग) इक्विटी समायोजन योग्य भारत सरकार की निधियां			42032			36988	
घ) आरक्षित व अधिशेष	2		94859	434160		63447	355184
2. ऋण निधियाँ:	3						
क) आरक्षित ऋण			278234			258599	
ख) अनारक्षित ऋण			265792	544026		263735	522334
3. मूल्यहास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय				13051			
				991237			877518
निधियों का उपयोग:							
1. स्थिर पूंजीगत खर्च:							
क) स्थिर परिसंपत्तियां	4						
सकल ब्लॉक		690490			389378		
मूल्यहास		59871			62281		
शुद्ध ब्लॉक			630619			327097	
ख) चालू पूंजीगत कार्य	5		207311			489571	
ग) निर्माण स्टोर व पेशगियां	6		33198	871128		11668	828336
2. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियाँ	7						
क) माल सूचियां		3960			3178		
ख) विभिन्न देनदार		129816			70808		
ग) नगद व बैंक शेष		11124			8672		
घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		2795			2730		
च) ऋण व पेशगियां		25616	173311		28452	113840	
घटाएं : शुद्ध चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	8						
क) देयताएं		43418			61038		
ख) व्यवस्थाएं		9955	53373		4119	65157	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां				119938			48683
3. विविध खर्च:	9			171			499
(बट्टे खाते या समायोजन न किए गए की सीमा तक)				991237			877518
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियां	16						

अनुसूची 1 से 16 और लेखा नीतियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मोहन एण्ड मोहन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान : **फरीदाबाद**
तारीख : **22 जुलाई, 1998**

आदर्श मोहन
भागीदार

31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए **लाभ व हानि लेखा**

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए आय	
आय					
1. बिक्री		112348		53142	
जोड़ें : दर समायोजन (शुद्ध)		–		300	
घटाएं : मूल्यह्रास की तुलना में पेशगी		13051	99297	–	53442
2. संविदाएं व परामर्श (शुद्ध)			219		1974
3. अन्य आय	10		218		193
कुल आय			99734		55609
खर्च					
1. जनरेशन, प्रशासनिक व अन्य खर्च	11		8323		3967
2. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	12		13181		4004
3. मूल्यह्रास			11395		11106
4. ब्याज और वित्तीय प्रभारें	13		43567		26334
5. अन्य संविदा खर्चे	14		149		1589
कुल खर्च			76615		47000
वर्ष के लिए लाभः			23119		8609
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	15		6823		2059
पूर्व अवधि समायोजन के बाद वर्ष के लिए लाभ			29942		10668
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष लाभ			7183		6488
प्रस्तावित लाभांश			1500		1500
आयकर के लिए व्यवस्था (लाभांश पर)			150		150
निवेश भत्ता (उपयोग में लाया गया) रिजर्व अपेक्षित नहीं			–		2345
पूंजी आरक्षित में हस्तान्तरण			6		–
बांड रिडेम्पशन रिजर्व को हस्तांतरण			15500		10668
आगे लाया गया आरक्षित व अधिशेष/शेष			19969		7183

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मोहन एण्ड मोहन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 22 जुलाई, 1998

आदर्श मोहन
भागीदार

शेयर पूंजी

अनुसूची-1

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को	31 मार्च, 1997 को
प्राधिकृत पूंजी		
350,00,000 (पिछले वर्ष 350,00,000)		
इक्विटी शेयर 1000/- रु. प्रति शेयर	350000	350000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
1000/- रु. प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त इक्विटी 29686947	296869	247541
इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 24754147) (इनमें से 629529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त		
अनुबंधों के कंसीड्रेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं		
और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा पार्ट		
कंसीड्रेशन के लिए किया गया है।)	296869	247541

आरक्षित व अतिरिक्त आय

अनुसूची-2

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	01 अप्रैल, 1997 को शेष	बढ़ोत्तरी	कटौतियां	31 मार्च, 1998 को
निजी बीमा आरक्षित	–	3120	–	3120
आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री)	–	6	–	6
बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व	35264	15500	–	50764
सामान्य रिजर्व	21000	—	–	21000
	56264	18626	–	74890
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	7183			19969
	63447			94859

ऋण निधियां

अनुसूची - 3

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को
आरक्षित ऋण				
क. बॉण्ड्स (नॉन कनवर्टीबल, नॉन क्यूम्युलेटिव)				
बॉण्डस - "सी" सीरीज *1 (प्राइवेट प्लेसमैंट)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% (करमुक्त) पर 20 मई, 1998 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (15000 लाख रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय) (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 20 मई, 1998 है)।		15000		15000
बॉण्ड - "डी" सीरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% (कर मुक्त) पर 27 सितम्बर, 1999 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड।		21998		21998
अधिसूचित बॉण्डों पर उपचित तथा देय ब्याज		–		297
बॉण्ड - "ई" सीरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% (कर मुक्त) पर 9 फरवरी, 2000 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड।		15000		15000
बॉण्ड - "एफ" सीरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13% पर 13 सितंम्बर, 1997 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड।		–		21500
बॉण्ड - "जी" सीरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17.5% पर 2 दिसम्बर, 1998 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (एक वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान के लिए देय 5000 लाख रुपए)	5000		5000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 21 फरवरी, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (एक वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान के लिए देय 1,000 लाख रुपए)	1000		1000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% (एक वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान के लिए देय 13000 लाख रुपए) पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 9 मार्च, 1999 है)	13000		13000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% (कर मुक्त) पर 31 मार्च, 2002 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड 0	700	19700	700	19700

ऋण निधियां

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को	
बॉण्ड "एच" सीरीज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% पर 8 अगस्त, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड।	5000		5000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 30 मार्च, 2000 है)	2519	7519	2519	7519
बॉण्ड - "आई" - सीरीज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 4 जनवरी, 2001 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड।	80		80	
एक-एक हजार रूपए के सममूल्य पर 15.5% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड (एक वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय 333 लाख रुपए) (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 20 जनवरी, 1999 है)	1000		1000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 14% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 24 मार्च, 2001 है)	19096		19096	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 10.5% (कर मुक्त) पर 29 मार्च 2001 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड।	10000	30176	10000	30176
बॉण्ड - "जे" सीरीज- *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13% पर, 01 दिसम्बर, 2001 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड	5000		5000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13.25% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8 अक्तूबर, 2001 है।)	15500		15500	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9.25% (कर मुक्त) पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 15 नवम्बर, 2001 है।)	10000		10000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 16.5% पर 21 जुलाई, 2002 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड	2500		2500	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 16.% पर 30 सितम्बर, 2000 को देय 5 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड	500		500	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 16.25% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 30 सितंबर, 2000 है।)	6736	40236	6736	40236

ऋण निधियां

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को	
बॉण्ड-''के''सीरीज: *2				
(प्राइवेट प्लेसमेंट)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% पर 5 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (1 वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय 7677 लाख रुपए) (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 30 मार्च, 1999 है।)	7677		7677	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17.5% पर 5 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 1 अगस्त, 1999 है।)	13746		13746	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17.5% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 30 सितम्बर 2001 है।)	5000	26423	5000	26423
बॉण्ड -''एल''सीरीज: *2				
(प्राइवेट प्लेसमेंट)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 5 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 22 अक्तूबर, 1999 है।	5635		5635	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 16% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 31 मार्च, 2004 है।)	6330		6330	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 10.5% (कर मुक्त) पर 7 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 31 मार्च, 2004 है।)	5100	17065	5100	17065
उपचित व देय ब्याज (''एल सीरीज'')।		12		–
ख. अन्य सावधिक ऋण				
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया *। (एक वर्ष के अन्दर 5000 लाख रु. पुनर्भुगतान के लिए देय)	30000		40000	
आई.सी.आई.सी.आई. लि. *2 (एक वर्ष के अन्दर शून्य लाख रु. पुनर्भुगतान के लिए देय)	10000		–	
इन्डस्ट्रीयल डेवलपमैंट बैंक ऑफ इंडिया *2 (एक वर्ष के अन्दर शून्य लाख रु. पुनर्भुगतान के लिए देय)	10000		–	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-सावधिक ऋण *2 (एक वर्ष के अन्दर शून्य लाख रु. पुनर्भुगतान के लिए देय)	20000		–	
हाउसिंग डेवलपमैंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *2 (एक वर्ष के अन्दर 104 लाख रु. पुनर्भुगतान के लिए देय)	985	70895	985	40985
बैंको से कार्यकारी पूँजी मांग ऋण (अल्प कालीन) *3		12000		2700
बैंको से नकद साख (अल्प कालीन) *3		2210		–
कुल आरक्षित ऋण		278234		258599

ऋण निधियां

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को
अनारक्षित ऋण				
क. बॉण्ड (नॉन-कंवर्टीबल, नॉन-क्यूम्युलेटिव)				
बॉण्ड - ''बी'' सीरीज :				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% (कर मुक्त) पर, 11 दिसम्बर, 1997 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल बॉण्ड। (एक वर्ष में शून्य लाख रुपए पुनर्भुगतान के लिए देय)		–		7814
उपचित व देय ब्याज		–		287
ख. भारत सरकार से ऋण (एक वर्ष में 5309 लाख रुपए पुनर्भुगतान के लिए देय)		62741		61824
उपचित व देय ब्याज		19748		17903
ग. अन्य ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)				
1. निर्यात विकास निगम (कनाडा) (एक वर्ष में 6559 लाख रुपए पुनर्भुगतान के लिए देय)	32796		35629	
2. वेस्ट मर्चेंट बैंक लि. (एक वर्ष 2497 लाख पुनर्भुगतान के लिए देय)	17737		16723	
3. ए.बी.एस.ई.के. (एक वर्ष में 8579 लाख रुपए पुनर्भुगतान के लिए देय)	68634		65553	
4. नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष में शून्य लाख रुपए पुनर्भुगतान के लिए देय)	20249		18404	
5. क्रेडिट कमर्शियल डी.ई. फ्रांस (एक वर्ष में शून्य लाख रु. पुनर्भुगतान के लिए देय)	41357		39598	
6. ओ.ई.सी.एफ. (एक वर्ष में शून्य लाख रुपए पुनर्भुगतान के लिए देय)	2530	183303	–	175907
कुल अनारक्षित ऋण		265792		263735
कुल ऋण (आरक्षित + अनारक्षित)		544026		522334

नोट:-

***1. चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियां इक्विटेबल मोर्टगेज द्वारा आरक्षित।**

***2. उड़ी जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियां बंधक द्वारा आरक्षित।**

***3. ऋणदाताओं और संचालन एवं रख-रखाव भण्डार को बंधक द्वारा आरक्षित करना।**

स्थिर परिसंपत्तियां

अनुसूची-4

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.97 को	बढोत्तरी/ समंजन	कटौतियां/ समंजन	31.3.98 को	1.4.97 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.3.98 को	31.3.98 को	31.3.97 को
फ्रीहोल्ड भूमि	4753	934	–	5687	–	–	–	–	5687	4753
ली़ज़होल्ड भूमि	1663	24	77	1610	160	27	(76)	111	1499	1503
भवन	47393	18012	1835	63570	8144	1747	(1564)	8327	55243	39249
सड़कें व पुल	6289	67	700	5656	1290	181	(327)	1144	4512	4999
रेलवे साइडिंग	3	–	–	3	–	–	–	–	3	3
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	10501	627	6446	4682	6343	245	(3348)	3240	1442	4158
जनरेशन संयंत्र व मशीनरी	92738	77676	152	170262	10953	4079	(31)	15001	155261	81785
सब-स्टेशन उपस्कर	1027	245	231	1041	464	84	(124)	424	617	563
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	204122	221980	2	426100	19801	5411	1	25213	400887	184321
वाहन	2001	151	993	1159	1372	137	(655)	854	305	629
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	1391	258	388	1261	640	197	(273)	564	697	751
ट्रांसमिशन लाइनें	1734	121	128	1727	580	96	(129)	547	1180	1154
विविध परिसंपत्तियां/ उपस्कर	1607	61	157	1511	839	195	(140)	894	617	768
अनुप्रयोग निर्माण संयंत्र व मशीनरी	14156	696	8631	6221	11695	–	(8143)	3552	2669	2461
जोड़	389378	320852	19740	690490	62281	12399	(14809)	59871	630619	327097
पिछले वर्ष	372752	17252	626	389378	49012	13314	(45)	62281	327097	323740

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्चे		852		804
2. भवन, सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार		642		24209
3. सड़कें और पुल		2187		2049
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल		44754		177413
5. पैनस्टॉक		2042		18706
6. जनरेटिंग स्टेशनों में संयंत्र व मशीनरी		55805		107885
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		65		314
8. विविध परिसंपत्तियां		89		86
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		28		118
10. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	157987		115131	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	24850		45576	
जोड़	182837		160707	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित	81990		2720	
चालू पूंजीगत कार्य में जमा शुद्ध आई.ई.डी.सी.		100847		157987
		207311		489571

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ:				
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	4414		6300	
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	1102		1129	
स्टाफ कल्याण खर्चे	746		1212	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	28	6290	16	8657
मरम्मत और रख-रखाव:				
भवन	247		116	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	259		174	
अन्य	317	823	355	645
प्रशासन व अन्य खर्चे:				
यात्रा व वाहन	235		169	
स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च	311		325	
कार्यालय का किराया	15		19	

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए	
आवासीय स्थान के लिए किराया		146			105	
दरें व कर		6			145	
बीमा		96			206	
बिजली प्रभारें		216			140	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		62			49	
विज्ञापन व प्रचार		56			73	
विदेशी परामर्श प्रभारें		277			496	
विदेशी ठेकों पर आयकर		237			255	
डिज़ाइन व परामर्श प्रभारें		4			1	
मनोरंजन		5			4	
छपाई व लेखन सामग्री		85			62	
भूमि, जो कि निगम की नहीं है, के लिए खर्च		1928			1116	
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास		91			–	
दान		–			10	
अन्य खर्चे		723			1279	
लेखापरीक्षकों को भुगतान		7			5	
बट्टे खाते डाली गई सामग्री/परिसम्पत्तियों पर हानि		12	4512		28	4487
ब्याज व वित्त प्रभारें:						
ऋणों पर ब्याज		7170			15152	
बॉण्डों पर ब्याज		9808			15136	
बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च		7			743	
वायदा शुल्क		243			355	
वित्तीय/गारंटी प्रभारें		703	17931		3938	35324
विनिमय दर परिवर्तन-शुद्ध (अर्जित)			(17)			(2892)
मूल्यहास			899			2203
कुल खर्च			30438			48424
घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियां:						
किराया प्रभारें/बिना पारी के संयंत्र व मशीनरी		488			572	
निम्न पर ब्याज						
सावधिक जमा/बैंक खाता	22			159		
ऋण व पेशगियां	531	553		172	331	
विविध प्राप्तियां व वसूलियां		274			111	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0			3	
ट्रायल के दौरान बिजली की बिक्री		3074			1235	
कुल प्राप्तियां व वसूलियां			4389			2252
शुद्ध खर्च			26049			46172
घटाएं:						
सहायता अनुदान के तौर पर आवंटित आई.ई.डी.सी. डिपॉजिट/एजेंसी आधार पर संचालित परियोजनाएं व टर्नकी ठेके			1199			596
सी.डब्ल्यू.आई.पी. को हस्तांतरित राशि			24850			45576

क) निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक संबंधी ब्यौरे

(रुपए लाखों में)

	1997-98	1996-97
अ) i) वेतन व भत्ते	15	14
ii) भविष्य निधि अंशदान	1	1
iii) आवासीय स्थानों के लिए किराया	3	3
iv) यात्रा खर्च	21	21
v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1	2

ब) पूर्णकालिक निदेशकों को प्रतिमाह 100 कि.मी. तक सरकारी और निजी यात्राओं के लिए नीचे दिए अनुसार कम्पनी कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी:-

	गैर ए.सी.कार	ए.सी.कार
16 एच.पी. तक	250/-रु. प्रतिमाह	400/-रु. प्रतिमाह
16 एच.पी. से अधिक	375/-रु. प्रतिमाह	600/-रु. प्रतिमाह

ख) सांविधिक लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान संबंधी ब्यौरे:

(रुपए लाखों में)

	1997-98	1996-97
लेखापरीक्षा शुल्क	3	2
लेखापरीक्षा कर शुल्क	1	1
लेखापरीक्षा खर्च	3	2

निर्माण स्टोर व पेशगियाँ

अनुसूची-6

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को
1.निर्माण स्टोर:				
(प्रबंधन द्वारा अनुमानित एवं सत्यापित लागत पर)				
ट्रांजिट में निर्माण सामग्री	31		30	
भण्डार	26611	26642	9287	9317
2.पूंजीगत खर्च के लिए पेशगी:				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	4910		1035	
अनारक्षित (क) कंसीडर्ड गुड	1646		1316	
(ख) कंसीडर्ड संदेहजनक	8		8	
	6564		2359	
घटाएं: संदेहजनक के लिए प्रावधान	8	6556	8	2351
		33198		11668

कंपनियाँ, जिनमें निगम का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) पेशगी देय है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-7

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे				31 मार्च, 1998 को			31 मार्च, 1997 को
चालू परिसंपत्तियां:							
1. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एवं सत्यापित लागत पर)							
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जे			3955			3173	
अतिरक्ति औजार			5	3960		5	3178
2. विविध देनदार (अनारक्षित)							
छः मास से अधिक अवधि के							
लिए बकाया ऋण			66124			59782	
अन्य ऋण			71426			17959	
कुल देनदार			137550			77741	
घटाएं: व्यवस्थाएं			7734	129816		6933	70808
विविध देनदारों के ब्यौरे							
(अनारक्षित)	1997-98	1996-97					
कंसीडर्ड गुड	129816	70808					
संदेहजनक समझे गए व दिए गए	7734	6933					
3.नगद व बैंक शेष:							
नगद, अग्रदाय, चैक व ड्राफ्ट			233			1132	
अनुसूचित बैंकों में शेष							
चालू खाता			5964			3321	
नगद क्रेडिट			824			703	
जमा खाता (अल्प-अवधि)			182			272	
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष							
(स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन में)							
चालू खाता			3302			3141	
(बैंक ऑफ भूटान में)							
चालू खाता			44			18	
बचत खाता						5	
सावधिक जमा			575	11124		80	8672
4. अन्य चालू परिसंपत्तियां							
जमा राशि पर उपचित ब्याज			1			12	
अन्य			2794	2795		2718	2730
5. ऋण व पेशगियां							
नगद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के							
रूप में वसूली योग्य पेशगियां							
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		1092			77		
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)		3769			3288		
अनारक्षित (संदेहास्पद)		140	5001		123	3488	
घटाएं : संदेहजनक के लिए व्यवस्था			140	4861		123	3365
कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित)				1261			865
भारत सरकार का सार्वजनिक जमा खाता							
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.				17262			22579
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)				2232			1643
				173311			113840

क. वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष के ब्यौरे

स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन	1997-98	1996-97
चालू खाता	3310	3920
बैंक ऑफ भूटान		
चालू खाता	93	410
आवधिक जमा	1240	400
बचत खाता	5	5

ख. निदेशकों से देय ऋण व पेशगियों के विवरण

	1997-98	1996-97
वर्ष के अंत में देय राशि	1	5
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	3	14

निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)

अनुसूची-7 का अनुबंध

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रत्यक्ष खर्चे		201		1106
(ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं को मजदूरी, सामग्री व भुगतान शामिल है)				
कर्मचारियों का पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी भत्ते व लाभ	200		147	
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान	29		-2	
स्टाफ कल्याण खर्च	11	240	3	148
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	9		4	
मशीनरी व निर्माण व उपस्कर	17			
अन्य	19	45	12	16
प्रशासन व अन्य खर्चे				
यात्रा व वाहन	33		21	
स्टाफ कार व निरीक्षण वाहनों पर खर्च	28		15	
कार्यालय किराया	7		6	
आवासीय किराया	3		1	
बिजली प्रभारें	2		1	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	10		4	
विज्ञापन व प्रचार	5		7	
डिजाइन व परामर्श प्रभारें	0			
मनोरंजन	1		1	
छपाई व लेखन सामग्री	3		3	
बैंक प्रभारें	1		3	
निगम मुख्यालय में प्रबंधन खर्च	58		51	
अन्य खर्चे	7	158	3	116
मूल्यह्रास		25		5
कुल खर्च		669		1391
घटाएंः प्राप्तियां व वसूलियां (विविध)		80		34
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		589		1357
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष		1643		286
अनुसूची-7 पर लाया गया कुल खर्च		2232		1643

चालू देयताएं व व्यवस्थाएं

अनुसूची-8

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को
देयताएं				
विविध लेनदार	4843		4341	
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि	241		247	
जमा/रिटेंशन राशि	833		4076	
अन्य देयताएं	12081		21642	
ऋण पर उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	13647		22675	
जारी किए गए चैकों के लिए देयताएं	10		1	
निर्माण ठेकों के लिए पेशगियां	11763	43418	8056	61038
व्यवस्थाएं				
प्रस्तावित लाभांश	1500		1500	
कराधान (लाभांश पर)	50		150	
स्टाफ के हितों की व्यवस्था	8305	9955	2469	4119
		53373		65157

विविध खर्च

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)

अनुसूची-9

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे		31 मार्च, 1998 को		31 मार्च, 1997 को
आस्थगित राजस्व खर्च		165		486
निगम की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों पर खर्च		6		13
बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियाँ	446		586	
घटाएं : प्रदान किए गए	446		586	
		171		499

अन्य आय

अनुसूची-10

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	5	20
देयताएं, जो पुन: अपेक्षित नहीं हैं	–	25
अन्य विविध प्राप्तियां	213	148
	218	193

जनरेशन, प्रशासनिक व अन्य खर्चे

अनुसूची-11

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. जनरेशन खर्चे:				
भण्डार व अतिरिक्त पुर्जो की खपत	607		477	
मरम्मत व रख-रखाव				
क) भवन	156		81	
ख) मशीनरी	269		619	
ग) अन्य	502		569	
अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	250		198	
आस्थगित राजस्व खर्चे के बट्टे खाते डाली गई राशि	6	1790	174	2118
ख. प्रशासनिक व अन्य खर्चे:				
किराया	8		1	
दरें व कर	7		9	
बीमा	3146		22	
बिजली प्रभारें	58		35	
यात्राएं व वाहन	108		104	
स्टाफ कारों पर खर्च	257		178	
टेलीफोन, टेलैक्स व डाक खर्च	44		32	
विज्ञापन व प्रचार	19		16	
मनोरंजन खर्च	1		1	
छपाई व लेखन-सामग्री	30		29	
परामर्श प्रभार	10		48	
निगम मुख्यालय में प्रबंधन खर्च	1137		541	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	42			
अन्य विविध खर्चे	1295	6162	523	1539
विनिमय दर अन्तर		371		310
		8323		3967

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-12

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी व भत्ते	9335	2996
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	2648	504
स्टाफ कल्याण खर्च	1198	504
	13181	4004

ब्याज और वित्तीय प्रभारें

अनुसूची-13
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	9677	5798
बॉण्डों पर ब्याज	22326	15853
विदेशी ऋणों पर ब्याज	6856	3266
नगद साख सुविधाओं पर ब्याज	2797	643
ग्राहकों को छूट	308	157
वायदा शुल्क	181	171
विदेशी ऋणों पर प्रतिपूर्ति शुल्क	1392	427
अन्य वित्तीय प्रभारें	30	19
	43567	26334

अन्य ठेके खर्च

अनुसूची-14
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए
उप ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान	122	1435
सीधे खर्च (श्रम व सामग्री सहित)	26	146
अन्य खर्च	1	8
	149	1589

पूर्व अवधि समायोजन

अनुसूची-15
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए
1. विद्युत बिक्री	188	3377
2. ब्याज	–	(307)
3. प्रतिभूति प्रभारें	–	(897)
4. मूल्यह्रास	(222)	(91)
5. वेतन और मजदूरी	(15)	(14)
6. देनदारों से प्राप्त ब्याज	6396	–
7. मरम्मत व रख रखाव	(11)	–
8. अन्य	487	(9)
	6823	2059

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. **आकस्मिक देयताएं**

(क) निगम के विरुद्ध दावे की राशि 116971 लाख रुपए बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है (पिछले वर्ष 93005 लाख रुपए)।

(ख) निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 20888 लाख रुपए (पिछले वर्ष 47345 लाख रुपए) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खचो5 की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 82105 लाख रुपए बनती है (पिछले वर्ष 22280 लाख रुपए)

3. निर्माण के दौरान भारत सरकार से 8692 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3648 लाख रुपए) की मंजूरी लंबित होने के कारण इस राशि के ब्याज के प्रथम 50% हिस्से को चमेरा-I और टनकपुर और उड़ी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की निधि के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जिसे इक्विटी के तौर पर समायोजित दर्शाया गया है और शेष 50% को इस संबंध में उस समय की अनुकरणीय वित्तीय पद्धति के अनुसार भारत सरकार के ऋण के रूप में दर्शाया गया है।

4. विद्युत मंत्रालय तथा एन.सी.ई.एस. का दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 का पत्र संरुया 4/1/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी) के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) नवम्बर, 1987 में निगम को हस्तांतरित की गई है। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक इस परियोजना के लेखे निगम के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तो को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था।

परियोजना निर्माण के लिए सरकार से प्राप्त कुल फण्ड में से 29764 लाख रुपए की राशि, परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत को भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है और अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि उस तारीख से सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोजित राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गई ऋण की राशि क्रमशः 33160 लाख रुपए तथा 31070 लाख रुपए बनती है। शतो5 का निपटान लंबित होने पर अतिरिक्त ब्याज 11262 लाख रुपए (पिछले वर्ष 10321 लाख रुपए) की राशि को ऋण और ब्याज की गैर अदायगी में रखा गया है।

5.1 दर (टैरिफ) संबंधी अधिसूचना का मामला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/भारत सरकार के पास लंबित होने के कारण बिक्री की गणना अस्थाई दरों के अनुसार की गई है। बिक्री के अंतर्गत लोकतक, बैरास्यूल, टनकपूर, सलाल और चमेरा-I से संबंधित 10430 लाख रुपए शामिल हैं, जिनके बिल जारी नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार उड़ी परियोजना के मामले में 13062 लाख रुपए की अधिक बिलिंग की गई है, जिसकी अभी निकासी की जानी है। हालांकि इसकी गणना कर ली गई है।

5.2 13051 लाख रुपए के मूल्यह्रास के बदले पेशगी, जो कि दर (टैरिफ) (बिक्री) के द्वारा वसूली योग्य मूल्यह्रास और लाभ व हानि लेखा को चार्ज किए गए का अंतर है, को बिक्री से हस्तांतरित किया गया है।

5.3 ऐसी अवधि के लिए बस-बार आधार पर बिजली की गणना की गई है जबकि बड़े स्तर पर बिजली की बिक्री से संबंधित लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

5.4 भारत सरकार के निर्देशानुसार दर अधिसूचना के अनुसार कुल उत्पादित बिजली का 12% भाग रायल्टी के रूप में होम स्टेट को फ्री दिया गया है। फिर भी, इससे निगम के लाभांश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. (पावर ट्रांसमिशन सिस्टम अधिग्रहण का हस्तांतरण) अधिनियम, 1993 के अनुसार नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, की ट्रांसमिशन लाइनों से संबद्ध परिसंपत्तियां और देयताएं भारत सरकार को सौंप दी गई हैं। अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के ऋण तथा इक्विटी पर पी.जी.सी.आई.एल. को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। सामान्य ऋण/बॉण्ड राशि तथा उन पर देय ब्याज आदि की राशि को निगम के लेखों में बुक किया गया है जिसे पी.जी.सी.आई.एल के साथ वसूली योग्य दर्शाया गया है। पी.जी.सी.आई.एल के साथ लेखों का समाधान किया जाना है।

7 कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे की अनंतिम/प्रारंभिक अदायगी और अन्य प्रासंगिक खचो5 का समंजन, यदि कोई हो, अंतिम मुआवजा निर्धारित करते समय किया जाएगा और स्टाम्प शुल्क आदि की देयता, यदि कोई हो, तो निगम को भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज तैयार करते समय अदायगी की जाएगी। कुछ मामलो में निगम को कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया है।

8. स्कैनडिनाविस्का, एनस्किल्डा बैंकन स्वीडन के चालू खाते पर अर्जित ब्याज को आई.ई.डी.सी (निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च)/ लाभ व हानि के खाते में स्वीडन सरकार (एस.आई.डी.ए.) की सहमति से डाला गया है। एस.आई.डी.ए. ने चार्ज खाते में शेष ब्याज का उपयोग करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। स्वीडन सरकार तथा भारत सरकार के बीच लेखे में शेष ब्याज के उपयोग के संबंध में समझौता लंबित होने के कारण दिनांक 31.3.98 को शेष 3302 लाख (पिछले वर्ष 3141 लाख को) को बैंक शेष के रूप में दर्शाया गया है।

9. निगम ने वर्ष के दौरान ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' के आबंटन संबंधी अपनी वर्तमान लेखा नीति संख्या 3.2 संशोधित की है। अब आई.ई.डी.सी. परियोजना को ढांचागत कार्यों व लघु पुर्जो को आबंटित किया जा रहा है। इस संशोधन का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है।

10. निगम ने वर्ष के दौरान 5000/- तक की परिसम्पत्तियों, अचल परिसम्पत्तियों छोड़कर, पर मूल्यह्रास को चार्ज करने संबंधी अपनी वर्तमान लेखा नीति संख्या 5.3 को संशोधित किया है। इस वर्ष के लिए मूल्यह्रास पर संशोधन का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है।

11. निगम ने संचालित परिजनाओं के फालतू कर्मचारियों के पारिश्रमिक के समाधान संबंधी अपनी लेखा-नीति में परिवर्तन किया है। नीति में परिवर्तन का प्रभाव यह है कि निगम का लाभ 6291 लाख रुपए कम हो गया है, क्योंकि कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों की समतुल्य राशि को निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च की बजाय लाभ व हानि लेखे के खाते में डाला गया है।

12. वर्ष के दौरान परियोजना के निर्माण के बीच 14089 लाख रुपए की राशि इस्तेमाल की गई। परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक को वाणिज्यिक संचालन होने की तारीख तक, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की राशि के मूल्यह्रास के बदले प्रावधान में से प्रतिघटत में कमी करके दर्शाया गया है।

13.1 अंडमान द्वीपसमूह में केलपोंग जल विद्युत परियोजना को डिपॉजिट कार्य के तौर पर निष्पादित करने के लिए अंडमान व निकोबार प्रशासन और निगम के बीच ''करार'' का निष्पादन और प्रमाणीकरण लंबित होने के कारण परियोजना की पूरी लागत पर एन.एच.पी.सी. प्रशासनिक प्रभारों के तौर पर 10% की दर से अनुकूल लाभ की शर्त के साथ ड्राफ्ट करार की सम्बद्ध शर्त को ध्यान में रखते हुए परियोजना के वार्षिक लेखों को तैयार किया गया है।

13.2 ''ड्राफ्ट करार'' की सम्बद्ध शर्त के अनुरूप, डिपॉजिट कार्य के निष्पादन के दौरान परियोजना स्थल पर प्राप्त/निर्मित सभी अचल स्थिर परिसम्पत्तियों का समाधान परियोजना निर्माण खर्च के रूप में किया गया है। इसी प्रकार सभी चल स्थिर परिसम्पत्तियों, चाहे उनका प्रयोग पास रखी निर्माण सामग्रियों में से सीधे निर्माण कार्य में किया गया हो अथवा अन्य प्रकार से किया गया हो, का समाधान परियोजना की स्थिर परिसम्पत्तियों और वर्तमान परिसम्पत्तियों के तौर पर क्रमशः एन.एच.पी.सी. द्वारा हाथ में लेने के विकल्प अथवा इन्हें अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा हाथ में लेने पर काम में लाना है।

14. कुछ परियोजनाओं/यूनिटों में ठेकेदारों को दी गई सामग्री, वसूली योग्य दावे, पूँजीगत खर्चो के लिए पेशगियों के देनदार/लेनदार, ठेकेदारों से जमा/उपचित राशि समाधान और पुष्टिकरण के अधीन है। सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा के नियंत्रक सहित लेखे वित्त मंत्रालय के समाधान की शर्त के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, तो उन्हें समाधान/पुष्टिकरण के समय किया जाएगा।

15.1 दिनांक 01.6.98 से जब से उड़ी जल विद्युत परियोजना वाणिज्यिक आधार पर संचालित घोषित हुई है, ट्रायल के दौरान उत्पादित बिजली की बिक्री को अस्थायी दरों पर परियोजना के आई.ई.डी.सी. (निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च) में क्रेडिट किया गया है।

15.2 उड़ी परियोजना के मामले में ठेकेदार द्वारा आयात संबंधी उठाए गए लाभ, यदि कोई हों, जिनकी 31.3.98 तक के लिए गणना नहीं की गई है, और जो एन.एच.पी.सी को देय है, की दावों के निपटान होने पर गणना की जाएगी।

16. चमेरा-I परियोजना के मामले में सरप्लस उपस्करों की शुद्ध वसूली मूल्य को सी.डब्ल्यू.सी. के मार्ग निर्देशों की बजाय निगम द्वारा घोषित ''निर्माण संयंत्र उपस्कर व पुर्जो के निपटान के लिए मैनुअल'' के आधार पर आंका गया है। इस परिवर्तन के कारण 2.52 लाख रुपए (पिछले वर्ष 142.55 लाख रुपए) के सरप्लस उपस्करों पर मूल्यह्रास चार्ज किया गया , जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.03 लाख रुपए कम करके दिखाई गई है।

17. चमेरा-I और टनकपुर परियोजना के बारे में ठेकेदारों के बिलों का पुनः समाधान, निपटान किया जा रहा है। लंबित निपटान देयताओं का इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्रमाणित विश्लेषित दरों पर निपटान किया गया है। ठेकेदारों द्वारा किए गए दावे प्रबंध वर्ग के अनुसार मान्य नहीं है उन्हें आकस्मिक देयता शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है। इसी प्राकार, यदि सलाल परियोजना के मामले में पूंजीगत कार्य और सेवाओं में वृद्धि और अतिरिक्त मदों कें लिए देयता, यदि कोई है, प्राप्त होती है तो उसकी गणना अंतिम अनुमोदन के समय की जाएगी, जिसकी राशि का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

18. दुलहस्ती और कुरिचू परियोजनाओं के मामले में पूँजी निर्माण भण्डारो का वित्तीय बहियों में समाधान नहीं किया जा सका है। कुछ परियोजनाओं के मामले में स्थल पर रखी सामग्री के खातों का समाधान नहीं किया गया है।

19. वे हानियां जिनके लिए बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतिक्षा है (446 लाख रुपए) मुख्यतः परियोजनाओं की निर्माण अवधि के दौरान की कमियां/हानियां दर्शाती हैं। प्रत्येक मामले की उपयुक्त स्तर पर जांच की जा रही है।

20. लेखा नीति सं. 1.2. के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों और अन्य पर बकाया देयताओं पर सरचार्ज की वसूली की गणना अनिश्चित होने के कारण नहीं की गई है, सिवाय 6396 लाख रुपए के, जिसकी वर्ष के दौरान प्राप्ति नहीं हुई है और पूर्वावधि समायोजन के माध्यम से इसकी गणना नहीं की गई है क्योंकि पूरी वसूली गत वर्षो से संबंधित है।

21. सावलकोट और बगलिहार परियोजना, जिन्हें जम्मू व कश्मीर सरकार को हस्तांतरित किए जाने पर सहमति हो चुकी है, के बारे में हस्तांतरण विचाराधीन होने पर प्राप्ति की पूरी राशि लंबित है। इन्हें निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं के तौर पर समझा जा रहा है और इस प्रकार इसे वर्तमान देयताओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। एन.एच.पी.सी. को इस सौदे से किसी प्रकार की हानि होने की उम्मीद नहीं है।

22. डी.एस.जी. से हाथ में ली गई परिसंपत्तियों और इसके परिणामतः निपटान आदि के लिए उचित समाधान करने का निर्णय लंबित होने के कारण दुलहस्ती परियोजना में बुक-वैल्यु और डी.एस.बी. से हाथ में लिए गए और जे.पी.एस.ए. (जे.वी.) को सौंपे गए पुजो5 व उपस्करों के हस्तांतरित मूल्य के बीच 15534 लाख रु. के अंतर को अस्थायी तौर पर पूंजीगत कार्य प्रगति पर में से कम करके दिखाया गया है।

23. उड़ी परियोजना के संबंध में पूंजीकरण करते समय आई.ई.डी.सी की 1759 लाख रु.की राशि समायोजित नहीं की जा सकी जो अगले वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में आबंटित की जाएगी।

24. इस वर्ष के दौरान सलाल परियोजना के प्लंज पूल की चट्टानों को पुख्ता करने पर हुए खर्च, जिसे स्थगित राजस्व के तौर पर माना जा रहा था, को खर्च की किस्म को ध्यान में रखते हुए पूंजीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वअवधि समंजन लेखे में 728 लाख रुपए का क्रेडिट हुआ।

25. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को 1.10.97 से लागू किया गया है। 16.11.95 से 30.9.97 की अवधि के बीच अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, की गणना इसके निपटान के समय जाएगी।

26. वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में अंतर का परिणाम इस प्रकार है:-

		(रुपए लाखों में)
i)	मूल्यह्रास को छोड़कर, लाभ व हानि लेखे (शुद्ध) में प्रभारित खर्चे सहित राशि	576
ii)	लाभभोक्ताओं से वसूली योग्य बिक्री सहित राशि	782
iii)	वर्ष के लिए लाभ व हानि, मूल्यह्रास को छोड़कर, क्रेड़िट की गई शुद्ध राशि	206
iv)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में क्रेडिट राशि	17
v)	चालू पूंजीगत कार्य के लिए ली गई राशि	210
vi)	स्थायी परिसंपत्तियों की राशि में जमा द्वारा समायोजित राशि	11517

27. यद्यपि कंपनी द्वारा बाहरी वाणिज्यिक ऋणदाताओं से ली गई गारंटी फीस न देने के संबंध में निगम का आवेदन अभी तक लंबित पड़ा है। 1.2% वार्षिक की दर से 7574 लाख रुपए के एबेंडेंट कॉशन की व्यवस्था की गई है और 1.2% की दर से 7574 लाख रुपए अतिरिक्त गारंटी फीस के रूप में आकस्मिक देयता के तौर पर रखे गए है।

28. फरीदाबाद कार्यालय परिसर के मामले में लेखा प्रमाण-पत्र और डिमांड नोटिस लंबित होने के कारण प्रॉपटी टैक्स आदि की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि वर्ष के दौरान अर्जित की गई भूमि के लिए हस्तांतरण-विलेख का निष्पादन लंबित होने के कारण प्रभारों के लिए व्यवस्था की गई है। हस्तांतरण-विलेख प्रभारों को अंतिम रूप देने के लिए देय संपत्ति कर, लीज़ राशि/भूमि कर के लिए और मुम्बई में खरीदे गए फ्लैटों के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों से दावों/ब्यौरों की प्राप्ति लंबित होने के कारण कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

29. वर्ष के दौरान स्टाफ हित देयताओं के 5836 लाख रुपए को अलग करके रखा गया है और लाभ व हानि लेखा, आई.ई.डी.सी. को चालू निर्माण कार्य, जो क्रमश: 4641 लाख रुपए, 1171 लाख रुपए और 24 लाख रुपए के हैं, को चार्ज किए गए हैं।

उपर्युक्त में अर्जित छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के बारे में क्रमश: 810 लाख रुपए और 1215 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसे बीमांकित मूल्यांकन के अतिरिक्त उपलब्ध कराया गया है ताकि वेतनमान संशोधित होने के परिणामस्वरूप इस बारे में अनुमानित बढ़ोतरी का हिसाब लगाया जा सके।

30. कर योग्य आय/कर योग्य संपत्ति न होने के कारण, आय कर/संपत्ति कर के लिए किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

31. निगम ने वर्ष 1997-98 के लिए पिछले वर्ष के लाभ से और लेखा नीति सं. 5 में दिए गए मूल्यह्रास के भुगतान की व्यवस्था करने के बाद 15 करोड़ रुपए की राशि का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। सिंचाई व विद्युत मंत्रालय (विद्युत विभाग) के दिनांक 1 जून, 1985 के पत्र सं. 25(10/84-डी) (एस.ई.बी.) के अनुसार विधि- मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास का भुगतान करने के बाद ही लाभांश की अदायगी की जाएगी।

32. मात्रात्मक विवरण:

			1997-98		1996-97
i)	लाइसेंस क्षमता	(मेगावाट)		-लागू नहीं-	
ii)	संस्थापित क्षमता	(मेगावाटा)	2118		1627
iii)	वास्तविक उत्पादन	(मि.यू.)	8589.54#		5614
iv)	वास्तविक बिक्री	(मि.यू.)	7492.14@		4882

जांच संचालन के दौरान 226.22 मि.यू. को छोड़कर
@ जांच संचालन के दौरान 199.07 मि.यू. को छोड़कर

33.				
	(क)	सी.आई.एफ. आधार पर आयातित प्लांट व मशानरी तथा अतिरिक्त पुर्जो की कीमत	रु. लाखों में 2068	रु. लाखों में 206
	(ख)	विदेशी मुद्रा में खर्च		
	i)	जानकारियाँ	1108	780
	ii)	ब्याज	11269	14550
	iii)	अन्य विविध मामले	373	5707
	(ग)	संचालित यूनिचों के उपयोग में लाए गए अतिरित्त पुर्जो व हिस्सों की कीमत		
	i)	आयातित	53	150
	ii)	स्वदेशी	607	413
	(घ)	विदेशी मुद्रा में वसूली ब्याज	82	139

34. यथा आवश्यक पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन: मिलान/व्यवस्थित किया गाया है।

विजय गुप्ता	आर. नटराजन	योगेन्द्र प्रसाद
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तुलन-पत्र का सार एवं निगम के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: 32564 — प्रांतीय कोड: 05

तुलन-पत्र दिनांक: 31 (दिनांक) 03 (महीना) 1998 (वर्ष)

II वर्ष के दौरान संचित पूंजी (रुपए लाखों में)

पब्लिक ईशू	राइट्स ईशू
शून्य	शून्य
बोनस ईशू	प्राईवेट प्लेसमेंट *
शून्य	42520

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी डिपॉजिट

III निधि के प्रसार तथा व्यवस्था की स्थिति (रुपए लाखों में)

कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
1044610	1044610

निधि के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #	आरक्षित तथा अधिशेष
339301	94859
आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण
278234	265792

400 लाख रुपए की जमा हिस्सा पूंजी तथा
भारत सरकार से प्राप्त निधि के 42032 लाख रुपए इक्विटी में समायोजन योग्य शामिल हैं।

निधियों का उपयोग

शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	निवेश
871128 @	शून्य
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां	विविध खर्च
119938	171
गणना की गई हानियां	
शून्य	

@ पूंजिगत कार्य प्रगति पर के 207311 लाख रुपए और निर्माण स्टोर तथा
पेशगियों के 33198 लाख रुपए शामिल किए गए हैं।

IV निगम का निष्पादन (रुपए लाखों में)

टर्नओवर	कुल खर्च
99516 **	76615
कर पूर्व लाभ	कर पश्चात् लाभ
29942 @@	29942 @@
प्रति शेयर प्राप्ति रुपए में	लाभांश राशि
100-86	1500

** अन्य आय 218 लाख रुपए को छोड़कर

@@ पूर्व अवधि समंजन के बाद

V कंपनी के तीन मुख्य उत्पादनों/सेवाओं के नाम

i) उत्पाद विवरण — विद्युत उत्पादन

मद कोड नं. — -

ii) उत्पाद विवरण — निर्माण ठेके

मद कोड नं. — -

iii) उत्पाद विवरण — परामर्शी सेवाएं

मद कोड नं. — -

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

कृते मोहनएण्ड मोहन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

आदर्श मोहन
भागीदार

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 22 जुलाई, 1998

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में :

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1998 के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न निगम के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, जिसमें, अनुसूचियों, लेखा व लेखा नीतियां भाग बनाने वाली टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षकों द्वारा यूनिटों की लेखा परीक्षा शामिल है, से हम सहमत हैं, और हमारी रिपोर्ट है कि :-

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 277(4क) की शर्तों में कंपनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कंपनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित और परीक्षा तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. उपर्युक्त अनुबंध के पैरा (1) के अलावा हमारी रिपोर्ट है कि :

(क) हमने ये सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे विचार से, जैसा कि बहियों की जांच से पता चलता है निगम ने कानूनी तौर पर अपेक्षित व समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, और लेखा परीक्षा करने के लिए निगम की शाखाओं के बारे में समुचित रिटर्न हमें प्राप्त हो गई है, जिसकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की थी। जिन शाखाओं की हमने लेखा परीक्षा नहीं की थी, उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय प्राप्त रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है।

(ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखा बहियों और रिटर्न से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे विचार और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुसूची (16) की लेखा टिप्पणियों के साथ पठित लेखे और महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित जानकारी के अनुसार सही हैं।

(i) टिप्पणी संख्या (1), अनुसूची 16

संदर्भ : सीमा शुल्क प्राधिकारियों मे पक्ष में 208.88 करोड़ रुपए के निष्पादित बॉण्डों के अतिरिक्त निगम के विरुद्ध ऋण के तौर पर 1169.71 करोड़ रुपए के दावे स्वीकार नहीं किए गए हैं।

(ii) टिप्पणी संख्या (3), अनुसूची 16

संदर्भ : निर्माण अवधि के दौरान भारत सरकार के ऋण पर उपचित ब्याज का समायोजन।

(iii) टिप्पणी संख्या (4), अनुसूची 16

संदर्भ : सलाल जल विद्युत परियोजना के लेखों का सरकार के निर्देशों और वैधानिक परामर्श के आधार पर समावेशन।

(iv) (क) टिप्पणी संख्या (5.1), अनुसूची 16

संदर्भ : बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना अस्थायी आधार पर की गई है, जो दर निर्धारित करने के बारे में सरकारी अधिसूचना के जारी होने की शर्त के अधीन परिवर्तनीय है। लोकतक, बैरास्यूल, टनकपुर, सलाल तथा चमेरा-1 परियोजना को 104.30 करोड़ रुपए की राशि, जिसे बिलों में नही दर्शाया गया है और जो संबंधित राज्य व सक्षम प्राधिकरण के स्वीकार करने की शर्त के अधीन है, कुल बिक्री 1123.48 करोड़ रुपए शामिल है। इसी प्रकार उड़ी परियोजना के मामले में भी 130.62 करोड़ रुपए की अधिक बिलिंग की गई है, जिसकी अभी निकासी की जानी है, हालांकि इसे लेखों में प्रभावी कर लिया गया है। परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ तथा विविध देनदारियों में 26.32 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

(v) टिप्पणी संख्या (5.2), अनुसूची 16

मूल्य ह्रास के बदले पेशगी के कारण अग्रिम रूप से प्राप्त 130.51 करोड़ रुपए की आय का निपटान लाभ-हानि लेखे में करके किया गया है और इसे ''निधियों के स्त्रोत'' के तौर पर दर्शाया गया है।

(vi) टिप्पणी संख्या (6), अनुसूची 16

संदर्भ : पी.जी.सी.आई.एल. को व्यवस्थापन मामला लंबित होने के कारण ट्रॉसमिशन लाइनों का हस्तांतरण।

(vii) टिप्पणी संख्या (7), अनुसूची 16

संदर्भ : भूमि खरीद का मामला विचाराधीन होने के कारण इस भूमि को अस्थायी आधार पर पंजीकृत किया जाना औपचारिकताएं लंबित होने के कारण टाइटिल डीड का निष्पादन नहीं किया गया है।

(viii) टिप्पणी संख्या (8), अनुसूची 16

संदर्भ : आई.ई.डी.सी. लाभ व हानि से अर्जित ब्याज को जमा करना और स्वीडन सरकार के साथ समझौता लंबित होने के कारण शेष को बैंक लेखे में दर्शाना।

(ix) टिप्पणी संख्या (11), अनुसूची 16

संदर्भ : अतिरिक्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में लेखों के निपटाने में परिवर्तन का प्रभाव।

(x) टिप्पणी संख्या (14), अनुसूची 16

संदर्भ : ठेकेदारों को दी गई सामग्री, ठेकेदारों, विविध देनदारों को दी गई पेशगियाँ ट्रॉजिट/निरीक्षण के अधीन सामग्री, ठेकेदारों से प्राप्त जमा/अर्जित राशि, वसूली योग्य दावे, सहायता, लेखों और लेखा-परीक्षक नियंत्रण के साथ पूंजीगत खर्चे के लिए पेशगियों और उपर्युक्त परिसपंत्तियों व देयताओं तथा लाभों पर पड़ने वाला प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(xi) टिप्पणी संख्या (17), अनुसूची 16

संदर्भ : ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनुमानित आधार पर उपलब्ध कराई गई देयताएं अंतिम निपटान के लिए लंबित हैं।

(xii) टिप्पणी संख्या (18), अनुसूची 16

संदर्भ : भंडारों का मूल्य भंडारण बहियों और स्थल पर सामग्री के साथ समाधान के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(xiii) टिप्पणी संख्या (20), अनुसूची 16

संदर्भ : 63.96 करोड़ रुपये के अधिभार प्राप्ति की गणना ''पूर्वावधि समायोजन'' के माध्यम से की गई है।

(xiv) टिप्पणी संख्या (22), अनुसूची 16

संदर्भ : 155.34 करोड़ रुपए की कीमत के ''पूंजीगत कार्य प्रगतिपर'' में कमी एक ठेकेदार को अतिरिक्त पुर्जो व अन्य परिसंपत्तियों की बुक-वेल्यू के विषय में अधिक हस्तांतरण मूल्य दर्शाने के कारण से है।

(xv) टिप्पणी संख्या (25), अनुसूची 16

संदर्भ : 16-11-95 से 30-9-97 की अवधि के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत देय अंशदान का प्रावधान न करना और इसके कारण अनुवर्ती प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है।

(xvi) टिप्पणी संख्या (27), अनुसूची 16

संदर्भ : गारंटी फीस के 75.74 करोड़ रुपए के लिए व्यवस्था तथा भुगतान न होने पर 1.20% की दर से 75.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त गारंटी फीस के लिए न की गई व्यवस्था की राशि आकस्मिक देयताओं में शामिल की गई है।

(xvii) (क) लेखा नीति संख्या 5.3

मूल रूप से 5000/- रु. अथवा कम राशि तक की लागत की परिसंपत्तियां व 5000/- रु. अथवा कम राशि की लागत तक की डब्ल्यू. डी.वी. परिसम्पत्तियां जिनकी वास्तविक मूल लागत प्रत्येक मामले में 1.00 लाख तक थी, को लेखों से पूरी तरह बाहर रखा गया है और जैसा कि इन्हें इस वर्ष तथा पिछले वर्षो के तुलनपत्र में दर्शाया जा रहा है, ऐसी परिसंपत्तियाँ की कुल मिलाकर सकल मूल्य यद्यपि पर्याप्त मात्रा में है, यह आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों के सकल मूल्य व मूल्य ह्रास दोनों में अधिविवरण हुआ है, जो कंपनी अधिनियम,

1958 की अनुसूची-VI के साथ मेल नहीं खाता है और लेखा नीति के अनुसार स्वीकार्य भी नहीं है।

ख. लेखा नीति संख्या 10

लाभ के कारण विनियोग की बजाय निजी बीमा रिजर्व सृजन को लाभ व हानि लेखे में चार्ज करना।

(xviii) केन्द्रीयकृत नकद प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत रखे गए बैंक खाते में 31 मार्च, 1998 के अनुसार पुरानी समाधान न की गई प्रविष्टियां की गई हैं। बकाया राशि, जिसमें ऐसी पुरानी प्रतिष्ठियां शामिल हैं, की 30 जून 1998 के अनुसार स्थिति नीचे दिए अनुसार है:—

(क) बैंक द्वारा कंपनी के खाते में 12.81 लाख रुपए अधिक डेबिट किए गए हैं।

(ख) बैंक द्वारा कंपनी के खाते में 0.53 लाख रुपए अधिक जमा किए गए हैं।

(ग) बैंक द्वारा कंपनी के खाते में 16.79 लाख रुपए कम डेबिट किए गए हैं।

(घ) बैंक द्वारा कंपनी के खाते में 2.54 लाख रुपए कम जमा किए गए हैं।

(xix) कंपनी द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिए गए और जी.जी.सी.आई.एल. को आवंटित ऋण पर दिनांक 31.3.98 तक 11 करोड़ रुपए ब्याज की राशि पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं।

(xx) (क) दुलहस्ती परियोजना में एक विदेशी ठेकेदार से खरीदी गई परिसंपत्तियों, भण्डारों आदि के संबंध में बिक्री कर देयताओं (आकस्मिक देयताओं के तौर पर 25 करोड़ रुपए) की व्यवस्था नहीं की गई है। हमें बताया गया है कि निगम ने इस मामले में बिक्री कर उगाही की छूट के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क किया है।

(ख) लोकतक परियोजना के संबंध में मणिपुर सिंचाई विभाग के विरूद्ध 69.64 लाख रुपए के डूबे हुए शंकाग्रस्त दावे का प्रावधान न करना।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान ''ए'' तथा ''बी'' सीरीज बॉण्डों पर लिखित वापसी ब्याज से संबंधित 27.68 लाख रुपए की पुरानी देयताओं की समाधान न की गई बकाया राशि को वर्ष 1997-98 के दौरान पुनः दर्शाया गया है। इसे लेखे की टिप्पणियों में नहीं दर्शाया गया है।

(घ) कैलपोंग परियोजना के मामले में 31 मार्च, 1998 तक खर्च परियोजना खचो5 में 10% की दर से प्रशासनिक प्रभारों के कारण 41 लाख रुपए की आय की लेखों में गणना नहीं की गई है।

(xxi) (क) चमेरा चरण-I परियोजना के मामले में ठेकेदार को जारी की गई 283.58 लाख रुपए की सामग्री ठेकेदारों के 216.46 लाख रुपए की पेशगियों (जो निर्माण स्टोर एवं पेशागियों में शामिल हैं), ठेकेदारों को दी गई पेशागियों पर उपचित ब्याज के 44.42 लाख रुपए की राशि और मशीनरी भाड़ा प्रभार के वसूली योग्य 73.01 लाख रुपए की राशि (जो अन्य चालू परिसंपत्तियों में शामिल हैं) लंबे समय से बकाया है, जिसकी वसूली का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(ख) चमेरा चरण-I परियोजना के मामले में ठेकेदार को दी गई पेशागियों के बदले निगम ने कुछ संयत्र व मशीनें प्राप्त की थीं और बताया की 31 मार्च, 1998 तक 259 लाख रुपए 31.3.96 तक ब्याज सहित बकाया थी. जिसके परिणामस्वरूप सिक्योरिटी में भारी कमी हुई। रिकाडों की गैर मौजूदगी में यूनिट में प्रबंधवर्ग की कार्रवाई/सिस्टम की अपर्याप्तता के कारण हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(xxii) (क) रंगित परियोजना के एक ठेकेदार से निर्धारित शतो5 के अनुसार ऋण की वसूली योग्य मदों पर ब्याज की वसूली न होना। (31-3-98 तक ब्याज की कुल राशि 760.39 लाख रुपए है, जो 245.59 लाख रु. की बैंक गारंटी और संयंत्र मशीनरी वर्तमान डब्ल्यू.डी.बी. 100 लाख रु. से कम) बंधक रखने के कारण कवर्ड है, एग्जीविट-11 पर दर्शाए अनुपूरक करार में भी लगभग एक करोड़ रु. प्रतिवर्ष की ऋण राशि पर ब्याज वसूली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और साथ ही साथ इसके परिणामस्वरूप काफी समय से देय राशि पर ब्याज चार्ज करने के बारे में व्यवस्था न होने से राजस्व की हानी हुई है।

(ख) रंगित परियोजना के एक ठेकेदार से निर्धारित की गई शर्तो और उसके आस्थगन में हेडरेस टनल के अप और डाऊन

स्ट्रीम प्रवाह के संबंध में देयताओं (31.3.98 तक 187.84 लाख रु. की कुल बकाया राशि, जो 31.148 लाख रुपए की बैंक गारंटी द्वारा कवर्ड है की वसूली न होना और उसके परिणामस्वरूप साथ ही साथ राजस्व की हानि होना।

(ग) रंगित परियोजना में पावर हाउस कार्यो, जब ठेकेदारों द्वारा काम बंद कर दिया गया था (के संबंध में निर्धारित और आस्थगित शर्तों में पुरानी बकाया देयताओं), की कुल बकाया 106.82 लाख रु. (जिसमें 18.23 लाख रुपए बैंक गारंटी द्वारा कवर्ड हैं) की वसूली न होना और उसके परिणामस्वरूप साथ ही साथ राजस्व की हानि होना।

(xxiii) (क) कोयलकारो तथा चमेरा-2 परियोजनाएं क्रमश: गत 16/17 वर्षो5 और 6/7 वर्षो से शुरू नहीं की जा सकी हैं। अत: इन सभी खर्चो को आई.ई.डी.सी. (निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्चो) के तौर पर मानकर उचित ठहराया गया है और इसके बंद रहने के परिणामस्वरूप तुलन-पत्र में ''पूंजीगत कार्य प्रगति पर'' शीर्षक के अंतर्गत 31.3.98 तक 48.89 करोड़ रुपए की कुल राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

(ख) कोयलकारो परियोजना के निर्माणाधीन चरण में न होने के कारण निर्माण मशीनरी वास्तव में फालतू पड़ी रही। अत: ऐसी परिसम्पत्तियों पर परिणामस्वरूप 4.63 करोड़ रुपए की राशि का मूल्यह्रास चार्ज करने को न्यायोचित ठहराने से ''पूंजीगत कार्य प्रगति पर'' में बढ़ौतरी का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

(xxiv) (क) कुरिचू परियोजना प्राधिकरण (के.पी.ए.) से पिछले वर्षो में प्राप्त 51.78 करोड़ की राशि का अधो-भुगतान, इस वर्ष के दौरान ठेका कार्य की वर्तमान कीमत में समायोजन न होने और इसे ठेका कार्य के 80% भाग के पूरा होने के बाद समायोजित होने पर, इसे वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह पेशगी मध्यावधि प्रकार की होने के कारण इसे तुलन-पत्र में देयताओं की तरफ में ''असुरक्षित ऋण'' शीर्षक के मुख्य-शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ''असुरक्षित ऋण'' का अधि-विवरण और ''वर्तमान देयताओं'' का अति-विवरण हो गया है।

(ख) चमेरा-1, टनकपुर तथा सलाल परियोजनाओं के बारे में 42.20 करोड़ रुपए की राशि के फालतू निर्माण स्टोरों को ''स्थिर पूंजीगत खर्चो-निर्माण स्टोर व पेशगियों'' की बजाय ''चालू परिसम्पत्तियों'' में शामिल करके दर्शाया जाना चाहिए था, तथा अप्रचालित स्टोरों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(xxv) (क) टनकपुर परियोजना के मामले में 79.81 लाख रूपए (शुद्ध) की राशि ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के संबंध में बकाया है। ठेकेदारों के खातों का समाधान/निपटान लंबित रहने के कारण पूंजीगत खर्चो को पूंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) टनकपुर परियोजना द्वारा पिछले वर्ष में की गई बिक्री में 67 लाख रुपए की राशि देनदारियों में शामिल है, जिस के लिए अभी बिल प्रस्तुत होना है। वर्ष के दौरान अपने उपभोग को दर्शाने वाले 1.56 करोड़ रुपए की देनदारियों को बिजली प्रभारों के बारे में 13 लाख रुपए की देयता सहित पूर्व-अवधि के माध्यम से प्रतिवर्तित कर दिया गया है।

और उपरोक्त का लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट और सही है :—

क. 31 मार्च, 1998 को कंपनी के कार्यो की स्थिति की तुलन-पत्र के मामले में, और

ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि लेखा के मामले में।

कृते मोहन एण्ड मोहन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
आदर्श मोहन
भागीदार

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 22 जुलाई, 1998

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैरा संख्या-1 के संबंध में

1. निगम ने स्थिर परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का पूरा ब्यौरा दिखाने वाला मात्रात्मक विवरण सहित रिकार्ड रखा है। केवल कुछ मामलों में, स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति नहीं दर्शाई गई है। प्रबंधवर्ग ने कुछ परियोजनाओं की परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है। कुछ परियोजनाओं में रिपोर्ट समाधान के अधीन है, जिसके कारण ऐसे मामलों की कमियां, यदि कोई हों, के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई, जहां सत्यापन पूरा किया गया है।

2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुन: मूल्यन नहीं किया गया है।

3. प्रबंध वर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में मालसूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जो और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंधवर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति निगम के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है। दूसरी पार्टियों के पास पड़ी हुई सामग्री की जांच की गई है, और कुछ मामलों को छोड़कर उसे प्रमाणित कर दिया गया है।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधवर्ग द्वारा स्टॉक, पुर्जो, भण्डारों, संचालन योग्य आपूर्तियों आदि का वास्तविक सत्यापन करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है, वह निगम के आकार एवं व्यवसाय की किस्म के अनुसार उचित एवं पर्याप्त है।

5. वास्तविक भण्डार और रिकार्ड बुक के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों को लेखा खातों में समायोजित कर दिया गया है। केवल कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, जहां कमियां, समाधान अन्वेषण के अधीन हैं, कुछ मामलों में ठेकेदारों के पास पड़े स्टोर समाधान/पुष्टि की शर्त के अधीन हैं। दुलहस्ती और कुरिचू परियोजनाओं में मूल्यित स्टोर बहियां पूरी तरह से वित्तीय बुकों से मेल नहीं खातीं।

6. स्टॉक रिकार्ड की जांच करने के बाद, हमारी राय में स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष की भांति सामान्यत: स्वीकार लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है, जो सही व उचित है। केवल ओ. एन्ड एम. परियोजना स्थलों पर रखे गए स्टॉक का इंजीनियरिंग अनुमान पर पहली बार मूल्यांकन किया गया है।

7. हमें दी गई जानकारी के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फमो5 या अन्य पार्टियों से तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उपधारा (1 बी) के अंतर्गत समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों से किसी भी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं लिया है।

8. हमें दी गई जानकारी के अनुसार, निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टी और कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (1 बी) के अंतर्गत समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है।

9. जिन पार्टियों और कर्मचारियों को ऋण के रूप में ऋण और पेशगी दी गई है, वे सामान्यत: नियमित रूप से मूल राशि और ब्याज ''संदेहजनक पेशगी संबंधी मामलों को छोड़कर'', का भुगतान कर रहे हैं, कुछ मामलों मे पेशगियां और ब्याज, जहां कहीं लागू है, दीर्घ समय से बकाया है और कुछ मामले मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित पड़े हैं, जो कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं।

10. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संयंत्र व मशीनरी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और कार्यो के अनुरूप है। फिर भी हमारे विचार से कुछ क्षेत्रों में जैसे स्टोरों की खरीद, कच्ची सामग्री, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के असमाधान के पुराने समायोजन, समाधान किए जाने का समायोजन, ठेकेदारों को दी गई सामग्री तथा उपस्कर, देनदारों और ठेकादारों की दी गई पेशगी पर अनुवर्ती कार्रवाई, पुराने संयंत्र और मशीनरी और धीमी गति वाले भण्डारों का निपटान और भंडारों में रखे गए लेखों से मूल्य लेखा भण्डारों का समाधान करने आदि को सुदृढ़ करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

11. प्रबंधवर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाई गई प्रत्येक पार्टी के लिए वर्ष के दौरान 50,000 रुपए या इससे अधिक के लिए किसी प्रकार के सामान व सामग्री की खरीदारी व बिक्री तथा सेवाओं का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

12. जैसा कि हमें बताया गया है अधिकतर परियोजनाओं पर बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है फिर भी हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन मदों को निर्धारित करते समय की जाती है।

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के अंतर्गत निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम में रद्दी सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। कंपनी का कोई अन्य उत्पादन नहीं है।

15. निगम के आकार और व्यवसाय को देखते हुए आंतरिक लेखा विभाग के आकार और कार्य क्षेत्रों का विस्तार करने तथा इसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

16. हमें बताया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की 109 (1 घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख-रखाव केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

17. निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भविष्य निधि की बकाया राशि देयताएं सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास समय पर जमा करा दी जाती हैं। हमें बताए गए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा, निगम पर लागू नहीं होता।

18. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 1997 को आयकर, संपत्तिकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं थी।

19. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा बहियों की जांच सामान्यतः स्वीकार लेखापरीक्षा सिद्धान्त के अनुसार की गई है। ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्चे, जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

20. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1)(ओ) के प्रावधान के अंतर्गत निगम-घाटा औद्योगिक निगम नहीं है।

21. सर्विस कार्यों के संबंध में:

(i) कंपनी ने भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गतों और उपभोग में ली गई सामग्रियों तथा संबद्ध कार्य में प्रयुक्त मानव घण्टों के युक्तिसंगत आबंटन के लिए व्यवस्था अपने आकार और व्यवसाय के अनुरूप अपनाई है।

(ii) कंपनी में भंडार जारी करने तथा भंडार और श्रमिकों के आबंटन के लिए उचित स्तर पर अपेक्षित नियंत्रण वाली एकसमुचित पद्धति निगम के आकार और व्यवसाय के अनुरूप मौजूद है।

कृते मोहन एण्ड सोहन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
आदर्श मोहन
भागीदार

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 22 जुलाई, 1998

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के उत्तर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अधिकांश टिप्पणियों का उल्लेख कम्पनी के लेखों में निहित विभिन्न टिप्पणियों और लेखा-नीतियों के साथ-साथ किया गया है, इसलिए इनका उत्तर स्वत: स्पष्ट है। अत: टिप्पणियों के बारे में उत्तर नीचे दिए अनुसार हैं :

(xvii) (क) लेखा-नीति की समीक्षा वर्ष 1998-99 के दौरान की जाएगी।

(ख) हमारी राय में अपनाई गई नीति सही है।

(xviii) बैंक द्वारा गलत/कम डेबिट/क्रेडिट से संबंधित मामलों को बैंकों की संबंधित शाखाओं के साथ निरन्तर उठाया गया है और समय-समय पर इनका समायोजन किया जाता है।

(xx) (क तथा ग) टिप्पणी स्वत: स्पष्ट है।

ख) मणिपुर सिंचाई विभाग से राशि की वसूली की जानी है और मामले पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

घ) हमारी लेखा नीति संख्या 9 के अनुसार कोई लाभ अभिज्ञात नहीं है।

(xxi) (क) तथा (ख) मदों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(xxii) (क) तथा (ख) मामले की जांच की जा रही है और इस संबंध में उचित समायोजन वर्ष 1998-99 में कर लिए जाएंगे।

(ग) इस मामले में ठेकेदार एन.पी.सी.सी. ने एन.एच.पी.सी. के विरोध के बावजूद बी.पी.ई. से मध्यस्थता करने के लिए सिफारिश की है, जिसके निर्णय की प्रतीक्षा है।

(xxiii) (क) तथा (ख) इस मद की विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और वर्ष 1998-99 में उचित कार्रवाई की जाएगी।

(xxiv) (क) कुरिचु परियोजना प्राधिकरण से प्राप्त कम भुगतान को ऋण के तौर पर नहीं लिया गया है, अत: हमारी राय में अपनाया गया दृष्टिकोण सही है।

(ख) हमारी राय में अपनाया गया दृष्टिकोण सही है और इस चरण पर अप्रयुक्त भण्डार के बदले कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

(xxv) क) ठेकेदारों के दावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ख) यथा-अपेक्षित बिलों को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

1). बकाया वास्तविक सत्यापन और स्थिति को पूरा करने के लिए वर्ष 1998-99 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

10) हमारा मत है कि टिप्पणी में दर्शाए गए क्षेत्रों के बारे में कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त रूप से मौजूद है।

12) बेकार और क्षतिग्रस्त भंडारों का आवधिक निर्धारण किया जाता है। कंपनी के पास कोई कच्चा माल नहीं है।

15) आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार, कार्य क्षेत्र और अधिकार कंपनी की आवश्यकता और आकार को ध्यान में रखते हुए अनुकूल और पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और परिस्थिति के अनुसार इसे मजबूत किया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा ने अनेक मुद्दों को उजागर किया है और प्रबंधवर्ग द्वारा उपयुक्त मामलों में कार्रवाई की गई है / अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

टिप्पणियां

(क) तुलन-पत्र

(i) स्थिर परिसंपत्तियां (अनुसूची-4)

(क) सकल ब्लॉक : 690490 लाख रुपये

1) 31 मार्च, 1995 और 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या क (ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निर्माण अवधि के दौरान प्रयुक्त मूल परिसंपत्तियों / उपस्करों पर चार्ज किए गए मूल्यह्रास को मूल परिसंपत्तियों / उपस्कर, जिन्हें संबंधित परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन के तौर पर शुरु होने के समय पूंजीकृत किया गया था, सकल ब्लॉक में से कम नहीं किया गया है।

वर्ष 1997-98 के दौरान कंपनी ने चमेरा-I और टनकपुर के सकल ब्लॉक में कमी कर दी है, लेकिन सलाल-II से संबंधित सकल ब्लॉक में 1566.23 लाख रुपए की कमी नहीं की है।

इसके परिणामस्परूप स्थिर परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक का और 1566.23 लाख रुपए के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान का अतिविवरण हुआ है।

इसी प्रकार बैरास्यूल, लोकतक और सलाल परियोजना चरण-I, जो क्रमशः 1982, 1985 और 1987 में चालू हुई थी, संबंधी सकल ब्लॉकों में भी मूल परिसंपत्तियों / उपस्करों पर चार्ज किए गए मूल्यह्रास को वाणिज्यिक संचालन शुरु होने पर पूंजीकृत करते समय इन परिसंपत्तियों / उपस्कर को सकल ब्लॉक में से कम नहीं करने के कारण भी अतिविवरण हुआ है।

उपरोक्त के अलावा, चमेरा परियोजना से 1.5.94 से 31.3.97 की अवधि के बीच अन्य परियोजनाओं को स्थानांतरित किए गए निर्माण उपस्कर पर निर्माण चरण के दौरान 646.69 लाख रुपए का मूल्यह्रास चार्ज किया गया। तथापि, प्रापक परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सकल ब्लॉक में से मूल्यह्रास की राशि को कम नहीं किया गया था।

इस कारण से सकल ब्लॉक का और 646.59 लाख रु. के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान का अतिविवरण हुआ।

प्रबंधवर्ग के उत्तर

मूलतः लेखापरीक्षा टिप्पणी वर्ष 1994-95 के लिए चमेरा परियोजना (चरण-I) से संबंधित है। इस टिप्पणी का 1995-96 के लेखों में पुनः उल्लेख किया गया था, जिसमें चमेरा-I और टनकपुर परियोजना के लिए सकल ब्लॉक में अतिविवरण दर्शाया गया था। तदनुसार, चमेरा-I और टनकपुर के सकल ब्लॉक को 1997-98 में परिशोधित किया गया था। बैरास्यूल, लोकतक और सलाल परियोजना चरण-I, जो क्रमशः 1982, 1985 और 1987 में चालू हुई थी, के लिए परिशोधन नहीं हुआ था।

चमेरा परियोजना से स्थानांतरित उपस्कर के लिए प्रापक परियोजना द्वारा सकल ब्लॉक के समायोजन की समीक्षा की जाएगी और शुद्धि, यदि कोई होगी, वर्ष 1998-99 के दौरान की जाएगी।

चालू परिसंपत्तियों, ऋण और पेशगी (अनुसूची-7) 1733.11 लाख रुपये

चालू परिसंपत्तियां : माल-सूचियां : 3960 लाख रु.

2) इसमें पूंजीगत भंडार के रूप में लंबित मामले के तौर पर स्थिर परिसंपत्तियों के बारे में 173.44 लाख रुपये शामिल है। इसे निर्माण भंडार और पेशगियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके कारण चालू परिसंपत्ति, ऋण और पेशगी में 173.44 लाख रुपये का अतिविवरण हुआ और इसी सीमा तक स्थिर पूंजीकृत खर्च का भी अधिविवरण हुआ।

निर्माण भंडार और पेशगियों में सामान्यत: उन मदों को दर्शाया जाता है, जो निर्माण के उद्देश्य के लिए अपेक्षित होती हैं। संचालनात्मक परियोजनाओं में संचालन के लिए अपेक्षित जारी परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत माल-सूची के रूप में अनुपालन की जा रही सुसंगत नीति के अनुसार दर्शाया गया है।

ऋण और पेशगी : 25616 लाख रु.

ऋण और पेशगी : 25616 लाख रु.

3) इसमें सप्लायरों से वसूली योग्य 31.14 लाख रु. की राशि शामिल है, जो उन्हें जनवरी, 1998 के बाद फार्म - ''सी'' की आपूर्ति न किए जाने के कारण हुई। यह राशि बिक्रीकर निर्धारण को अंतिम रूप देने के कारण अवसूलीयोग्य हो गई है। इसके कारण ऋण और पेशगियों के साथ-साथ लाभ में 31.14 लाख रु. का अतिविवरण हुआ।

ठेकेदारों को दी गई पेशगियों का अभी समाधान होना है और अपेक्षित समायोजन वर्ष 1998-99 के दौरान किया जाएगा।

4) इसमें बैरास्यूल परियोजना के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ''भेल'' को दी गई पेशगी के रूप में 192.10 लाख रुपये की राशि शामिल हैं। इसे ''स्थिर पूंजीकृत खर्च-निर्माण भंडार और पेशगियों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार चालू परिसंपत्ति, ऋण और पेशगी में 192.10 लाख रु. की राशि का अति विवरण हुआ।''

निर्माण भंडार और पेशगियों में सामान्यत: उन मदों को दर्शाया जाता है, जो निर्माण के उद्देश्य के लिए अपेक्षित होती हैं। संचालनात्मक परियोजनाओं में संचालन के लिए अपेक्षित जारी परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत माल-सूची के रूप में अनुपालन की जा रही सुसंगत नीति के अनुसार दर्शाया गया है।

लाभ व हानि लेखा

खर्च :

उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्च

(अनुसूची-II) : 8323 लाख रु.

5) इसमें विदेशी ऋण में से प्रापण की गई मदों पर विनिमय दर अंतर के 48.72 लाख रु. की राशि, जो ट्रांजिट में गुम हो गई है, शामिल नहीं है।

इस हानि को निर्माण के दौरान पूंजीकृत कर दिया गया है और तदनुसार, विनिमय दर अंतर के ऐसे समायोजनों को भी स्थिर परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाना है।

मूल्यह्रास : 11395 लाख रु.

6) कंपनी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में निहित मूल्यह्रास की दरों का अनुपालन कर रही है और कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XI में निहित् बातों का अनुपालन नहीं कर रही है। चमेरा-I परियोजना के मामले में कम्पनी ने पूर्वव्यापी स्थिर परिसंपत्तियों पर आवंटित ई.आर.बी. के मूल्य में घटत नहीं की है।
इसके कारण मूल्यह्रास का अधिविवरण हुआ और लाभ में 205.83 लाख रु. का अतिविवरण हुआ।

यह कंपनी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना में दिए अनुसार मूल्यह्रास की दर का ही केवल अनुपालन कर रही है। तथापि, कंपनी के लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन तैयार किए गए हैं और तदनुसार मूल्यह्रास की गणना की गई है।

लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची-16)

7) टिप्पणी सं. 2 के संदर्भ में देखें, जिसके अनुसार ठेकों की अनुमानित राशि को पूंजीगत लेखों में लिया जाना बकाया रहता है और 82105 लाख रु. की राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बैरास्यूल परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए ''भेल'' को अवार्ड किए गए ठेके की बकाया राशि के रूप में 1068.01 लाख रु. शामिल हैं।	नोट कर लिया है।

सांवधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

8) लाभ विनियोजन की बजाय लाभ व हानि को चार्ज करके निजी आरक्षित बीमा के सृजन संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की मद सं. 2 घ (XVII) (ख) के संदर्भ में देखें। निजी आरक्षित बीमे का सृजन ओ.एण्ड.एम. परियोजनाओं की परिसंपत्तियों की अप्रत्याशित हानियों से निपटने के रूप में किए जाने संबंधी सांवधिक लेखापरीक्षकों का स्पष्टीकरण ठीक नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
9) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के स्पष्टीकरण संख्या 2 (घ) (XXIV) (ख) के संदर्भ में देखें, जिसके अनुसार चमेरा चरण-I, टनकपुर व सलाल परियोजनाओं के बारे में अतिरिक्त निर्माण भंडार की 42.20 करोड़ रुपए की राशि दर्शायी गई है, जबकि यह राशि 42.01 करोड़ रुपए बनती है।	कोई टिप्पणी नहीं।

हस्ताक्षर

(टी.के.सान्याल)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
व पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

दिनांक : 15.9.98
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के लेखों की भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा।

नोट : लेखों की यह समीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई लेखा टिप्पणियों और सांवधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई आपत्तियों के बिना तैयार की गई है।

1. वित्तीय स्थिति :

नीचे दी गई सारणी में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत कंपनी की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति दर्शाई गई है :

(रुपये करोड़ो में)

देयताएं	1995-96	1996-97	1997-98
क) प्रदत्त पूंजी			
i) इक्विटी में समंजन योग्य सरकार की निधि	2890.28	2917.37	3393.01
ii) अन्य	–	–	–
ख) आरक्षित व अधिशेष			
i) फ्री आरक्षित व अधिशेष	544.29	634.47	948.53
ii) शेयर प्रीमियम लेखा	–	–	–
iii) आरक्षित पूंजी	–	–	0.06
ग) उधार			–
i) भारत सरकार से	571.94	618.24	627.41
ii) वित्तीय संस्थाओं से	400	409.85	708.95
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	1766.11	1759.07	1833.03
iv) नकद जमा	43.37	27	142.10
v) अन्य	1866.31	2224.31	1931.17
vi) उपचित और देय ब्याज	172.83	184.87	197.60
घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान	460.32	620.86	495.38
ii) उपदान के लिए प्रावधान	7.93	14.28	38.35
ङ) अग्रिम रूप मे प्राप्त आय			
i) मूल्यह्रास के लिए अग्रिम (पेशगी)	–	–	130.51
कुल	8723.38	9410.32	10446.10

परिसंपत्तियां	1995-96	1996-97	1997-98
च) सकल ब्लॉक	3727.52	3893.78	6904.90
छ) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	490.12	622.81	598.71
ज) शुद्ध ब्लॉक	3237.4	3270.97	6306.19
झ) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4613.73	5012.39	2405.09
ट) निवेश	–	–	–
ठ) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	863.69	1121.97	1733.11
ड) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	8.56	4.99	1.71
ढ) गणना की गई हानि	–	–	–
कुल	8723.38	9410.32	10446.10
ण) कार्यकारी पूंजी {ड-घ (i)-ग (vi)}	230.54	316.24	1040.13
त) नियोजित पूंजी (ज+ण)	3467.94	3587.21	7346.32
थ) शुद्ध मूल्य {क + ख (i) + ख (ii) -ड -ढ}	3426.01	3546.85	4339.83
द) प्रदत्त पूंजी (रुपयों में) का प्रति रूपया शुद्ध मूल्य	1.19	1.22	1.28

2. निधियों के स्रोत और उपयोग :

वर्ष के दौरान 3751.51 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गई और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

निधियों के स्रोत :		(रुपए करोड़ में)
संचालन से प्राप्त निधियां		
i) वर्ष के लिए लाभ	299.42	
घटाएं : वर्ष के दौरान कम किया गया मूल्यह्रास	24.10	275.32
जोड़े : बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च		3.28
जोड़े : स्वयं बीमा रिजर्व		31.20
		309.80
ii) प्रदत्त पूंजी में वृद्धि		475.64
iii) उधार ली गई निधियों में वृद्धि		204.19
iv) मूल्यह्रास के बदले में पेशगी के रूप में निधि की प्राप्ति		130.51
v) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित पूंजीगत कार्य प्रगति पर में कमी		2607.30
vi) उपदान के लिए प्रावधान में वृद्धि		24.07
कुल		3751.51
निधियों का उपयोग :		
i) स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि		3011.12
ii) कार्यकारी पूंजी में वृद्धि		723.89
iii) लाभांश-कर सहित प्रदत्त लाभांश		16.50
कुल		3751.51

3) कर्मचारी परिणाम :

31 मार्च, 1998 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में कंपनी के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए अनुसार रहे हैं :

(रूपए करोड़ में)

	1995-96	1996-97	1997-98
i) बिक्री (आयात शुल्क सहित)	509.13	534.42	992.97
ii) कर पूर्व लाभ	77.37	106.68	299.42
iii) कर के लिए प्रावधान	–	–	–
iv) कर के बाद शुद्ध लाभ	77.37	106.68	299.42

4. अनुपात विश्लेषण :

31 मार्च, 1998 को समाप्त कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात पिछले तीन वषो5 की समाप्ति पर नीचे दिए अनुसार हैं :

	1995-96	1996-97	1997-98
क)निर्धारित अनुपात :			
चालू अनुपात (चालू देयताओं व प्रावधानों के बारे में चालू परिसंपत्तियां और उपचित और देय ब्याज, परन्तु उपदान के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ठ/घ (i) + ग (vi)}	1.36	1.39	2.50
ख) ऋण इक्विटी अनुपात			
शुद्ध मूल्य के लिए दीर्घ अवधि ऋण {ग (i से v, परन्तु अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर)/थ}	1.34	1.41	1.18

ग) लाभ अनुपात

कर-पूर्व लाभ (प्रतिशत में)

(i) नियोजित पूंजी	2.23	2.97	4.08
(ii) शुद्ध-मूल्य	2.26	3	6.90
(iii) बिक्री	15.20	19.96	30.15
(iv) इक्विटी	2.68	3.66	8.82
घ) **प्रतिशेयर आय** (रुपयों में)	26.77	36.57	88.25

5. माल-सूची स्तर :

31 मार्च, 1998 को समाप्त पिछले तीन वषो5 की समाप्ति पर माल सूचियों का स्तर नीचे दिए अनुसार है :

(रुपए करोड़ में)

	1995-96	1996-97	1997-98
भंडार, पुर्जे और लूज़ औजार	25.97	31.78	39.60

6. विविध देनदार :

31 मार्च, 1998 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के विविध देनदारों और बिक्रियों संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च को अद्यतन	विविध देनदार			बिक्री (आयात शुल्क सहित)	बिक्री के लिए विविध देनदारों की प्रतिशत्ता
	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहास्पद	कुल		
1996	436.81	143.80	580.61	509.13	114.04
1997	708.08	69.33	777.41	534.42	145.47
1998	1298.16	77.34	1375.50	992.97	138.52

विविध देनदारों का अवधिवार विवरण 1997-98 के अंत में नीचे दिए अनुसार हैं :

	राशि (करोड़ रुपए में)
1 वर्ष के कम के लिए बकाया देनदारी	980.39
1-2 वर्ष के लिए	247.76
2 वर्ष और उससे अधिक के लिए	58.64
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	88.71
कुल	1375.50

हस्ताक्षर

(टी.के.सान्याल)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - III,

नई दिल्ली

नई दिल्ली

दिनांक : 15.09.98

क. ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा के लिए किए गए और किए जा रहे उपाय।
एन.एच.पी.सी. के पावर सिस्टम को इस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से डिजाइन किया गया है ताकि बिजली की हानि (अतिरिक्त खपत) कम से कम हो।

(ख) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हों, का कार्यान्वयन।
फिलहाल निगम के पास सीधे निवेश के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए उपरोक्त (क) और (ख) उपायों का प्रभाव और इसके परिणाम स्वरूप माल के उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव।
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन उपायों का अनुकूलतम उपयोग किया गया।

(घ) अनुबंध के फार्म - ''क'' के अनुसार ऊर्जा की कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा की खपत।
एन.एच.पी.सी. इस अनुसूची में दर्शाए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

ख. तकनीकी समावेशन
(आर.एण्ड डी.)

1. विभिन्न संचालनात्मक परियोजनाओं में सिल्ट से संबंधित समस्याओं के निराकरण और पुर्जो की अनुपूर्ति हेतु आयात के लिए रिसर्च डेवेल्पमैंट की अलग डिविजन के रूप में स्थापना की गई है। इसके अलावा इस डिविजन द्वारा परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव में आने वाली बारंबार एवं चिरकालिक समस्याओं से संबंधित स्थापना और कार्यो की प्रक्रिया को भी धीरे-धीरे शुरु करना विचाराधीन है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

व्यय		(रु. लाखों में)
1.	आयातित संयंत्र व मशीनरी की कीमत	2068
2.	जानकारी	1108
3.	विविध	373
4.	ब्याज	11269
आय		
5.	ब्याज	82

कम्पनी (कर्मचारी के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ गठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (क) के तहत अपेक्षित सूचना।

(क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष 3,00,000/-रु० से कम नहीं था।

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोजगार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तारीख	आयु (वर्ष)	पूर्व पद, जिस पर कार्य किया।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	सर्वश्री						
1.	एस. के अग्रवाल प्रबंधक	315631	नियमित	बीएससी (इंजी) सिविल, (14 वर्ष)	13.11.84	39	-
2.	आलोक कुमार प्रबंधक	338593	नियमित	बी.टेक. (मैके) (13 वर्ष)	18.2.85	38	-
3.	वाई.एन.अप्पाराव महाप्रबंधक	450716	नियमित	बी.ई.(सिविल) एम.ई.(हाइड्रो-पावर) (29 वर्ष)	1.8.77.	52	सहा.इंजी.सी.डब्लू.सी.
4.	एस.के.आज़ाद प्रमुख	333621	नियमित	बी.ए.(ऑनर्स),एस.एएस. (25 वर्ष)	16.5.81	57	अनुभाग अधिकारी, ए.जी.सी.आर.
5.	बाल मुकुन्द महाप्रबंधक	388896	नियमित	बीएससी (इंजी.) मैके. (27 वर्ष)	16.12.78	49	सहा. इंजी. ई.आई.एल.
6.	डी.पी. भार्गव मुख्य इंजीनियर	361482	नियमित	बी.ई. (इलै.), (19 वर्ष)	20.02.79	42	-
7.	एस. आर. भारद्वाज महाप्रबंधक	400412	नियमित	एस.ए. (अंग्रेजी), पत्रकारिता में डिप्लोमा, मार्केटिंग और बिक्री प्रबंधन में डिप्लोमा, (37 वर्ष)	11.9.81	55	जनसम्पर्क अधिकारी, एन.एफ.एल.
8.	अमोद भटनागर वरि. प्रबंधक	368459	नियमित	आईएससी, (36 वर्ष)	23.7.76	56	आशुलिपिक, यू.पी.एस.ई.बी.
9.	ए.के.विश्वास वरि. प्रबंधक	308587	नियमित	बी.ई. (सिविल), (26 वर्ष)	21.10.82	50	सहा.इंजी., पश्चिम बंगाल सरकार
10.	ए.आई.बुनेट निदेशक (कार्मिक)	385821	सरकारी नियुक्ति	बी.ए.ऑनर्स, एल.एल.बी., पी.जी. डिप्लोमा आई. आर. एंड वेलफ्येर में (30 वर्ष)	31.3.93	56	महाप्रबंधक (का.व प्रशा.), पारादीप फास्फेट्स लि०
11.	ए. चन्द्रशेखरन मुख्य इंजीनियर	398208	नियमित	बी.ई. (सिविल) (29 वर्ष)	20.11.78	54	सहा. इंजी., पी.डब्ल्यु.डी.
12.	एन. के. चौधरी मुख्य इंजीनियर	363892	नियमित	सी.ई.(आई)एम.आई.ई., एल.एल.बी.,ए.एम.आई.ई. (29 वर्ष)	15.7.81	51	आर.ई., एन.बी.सी.सी.
13.	उपेन्द्र चौपड़ा प्रमुख	391227	नियमित	बी.ए.,लेबर कानून, लेबर कल्याण और कार्मिक प्रबंध में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा	19.4.79	50	कार्यालय अधीक्षक, बाल्को
14.	एच.एल.दरबारी वरि. प्रबंधक	341817	नियमित	एम.ई. (सिविल), (29 वर्ष)	12.9.81	52	सहा. इंजी., पी. डब्लु. डी. (जम्मू व कश्मीर)

15. पी. एन. दरदे मुख्य इंजीनियर	369581	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम. टेक. पी.एच.डी. (31 वर्ष)	31.1.80	57	प्रवक्ता, दिल्ली इंजी. कॉलेज
16. आई. डी. दयाल वरि. प्रबंधक	309920	नियमित	बी.टेक. (सिविल), (18 वर्ष)	2.6.80	42	-
17. गोपाल धवन प्रमुख	468404	नियमित	एम.टेक. (एप्लायड जियोलॉजी) पी.एच.डी. (18 वर्ष)	1.2.80	43	-
18. बी.एम.गंडोत्रा वरि. प्रबंधक	352279	नियमित	बी.ई. (सिविल), (31 वर्ष)	1.12.75	58	सहा.इंजी.पी.डब्लु.डी. जम्मू व कश्मीर
19. ए.के. गंगोपाध्याय कार्यपालक निदेशक	472656	नियमित	बी.ई. (सिविल), (31 वर्ष)	10.9.81	52	कार्यपालक इंजी., पी. डब्लु.डी., गोवा
20. एस. पी. गोयल वरि. प्रबंधक	344512	नियमित	बी.एस.सी. (प्रोडक्शन इंजी.)	20.1.78	52	सहा.इंजी., बी.एस.पी.
21. वाई.एस.गोयला वरि. प्रबंधक	317023	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.इलै.) (32 वर्ष)	1.1.77	50	-
22. विनोद गुलाटी महाप्रबंधक	462285	नियमित	ए.एम.आई.ई.(मैके.), इलै.एंड मैके.इंजी.में पी.जी. डिप्लोमा, ई.डी.पी. एण्ड एस. में पी.जी. डिप्लोमा, पी. एम. एंड आई.आर. में डिप्लोमा, (31 वर्ष)	1.3.80	51	भारतीय सेना में मेजर
23. ए.के गुप्ता मुख्य इंजीनियर	362188	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) मैके. (20 वर्ष)	24.11.77	43	-
24. ए.के. गुप्ता वरि.प्रबंधक	348088	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) मैके (23 वर्ष)	25.11.75	46	पर्यवेक्षक, सलाल परियोजना
25. आर.के. गुप्ता वरि. प्रबंधक	349549	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.टेक (डब्लू.आर.) (19 वर्ष)	22.5.79	52	-
26. डी.के. गुप्ता लेखा अधिकारी	460809	नियमित	एम.कॉम. (19 वर्ष)	9.4.79	40	-
27. जी.सी. गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी	399147	नियमित	एम.बी.बी.एस. (29 वर्ष)	24.4.81	51	भारतीय सेना में मेजर
28. एस.सी. गुप्ता वरि. प्रबंधक	385519	नियमित	बी.ई. (सिविल) (20 वर्ष)	20.1.78.	44	-
29. सुभाष सी. गुप्ता वरिष्ठ प्रबंधक	303112	नियमित	बी.एस.सी, एम.कॉम., पीएम एंड आईआर में पी.जी. डिप्लोमा, बिजनिस मैनेजमेंट में पी.जी. डिप्लोमा (27 वर्ष)	7.10.77	46	सहायक, लेखा परीक्षा निदेशालय, राजस्व विभाग
30. टी.सी. गुप्ता वरि. प्रबंधक	323687	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) मैके. (20 वर्ष)	15.7.78	49	तकनीकी सहायक, उर्जा मंत्रालय
31 वी.के. गुप्ता मुख्य इंजीनियर	383978	नियमित	बी.ई. (सिविल) (32 वर्ष)	10.5.78	54	उप निदेशक, सैन्ट्रल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंट्रोल बोर्ड
32. यू.वी. हेगड़े वरि. प्रबंधक	329921	नियमित	एम.एस.सी. एप्लायड जियोलॉजी (18 वर्ष).	8.2.80	43	-

33. एस.एम. हुसैन मुख्य इंजीनियर	391403	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल), स्ट्रक्चर्स में पी.जी. डिप्लोमा (26 वर्ष)	14.12.81	49	सहा.इंजी.बिहार सिंचाई विभाग
34. एस.जी. अय्यर प्रमुख	386965	नियमित	एम.ए.एल.एल.बी., पर्सनल मैंनेजमैंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, टी. एंड एच.आर.डी. में डिप्लोमा (32 वर्ष)	22.12.81	52	प्रशासनिक अधिकारी, एन.बी.सी.सी.
35. ए.के. जैन कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)	544652	नियमित	बी.कॉम. ए.सी.ए. (28 वर्ष)	25.11.78	53	उप लेखा प्रबंधक, इफ्को
36. एस.के जैन वरि. प्रबंधक	300954	नियमित	बी.ई. (इलै.) (18 वर्ष)	13.3.80	40	-
37. वी.के.जैन मुख्य इंजीनियर	350918	नियमित	बी.ई. (इलै.), एफ.आई.ई. (25 वर्ष)	1.8.77	48	एस.ओ.सी.ई.ए
38. एस.एस. जम्वाल महाप्रबंधक	462979	नियमित	बी.ई. (इलै.) (30 वर्ष)	30.12.79	53	सहा. इंजी. पी.डी.डी. जम्मू व कश्मीर
39. पी.सी. जोस मुख्य इंजीनियर	349567	नियमित	बी.एस.सी (इंजी.), एम. टेक. पी.एच.डी. (27 वर्ष)	24.12.79	51	ए.डी. (एक्स्ट्रा), सी.डब्लु.सी.
40. वी.के. कंजालिया महाप्रबंधक	306580	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) इलै. एम.एस.एसी. इंजी. (28 वर्ष)	8.5.79	52	ए.ई.ई., पीएसईबी
41. कमल कपूर मुख्य इंजीनियर	356804	नियमित	बी.एस.सी. इंजी (इलै.) (25 वर्ष)	6.8.77	48	सुपरवाइजर, सी.ई.ए.
42. सुभाष कपूर प्रमुख	377166	नियमित	बी.ए. (ऑनर्स), सी.ए. (26 वर्ष)	5.9.88	52	प्रबंधक (वित्त व लेखा.) एस.ए.बी. इलैक्ट्रॉनिक्स
43. वी.के. कपूर मुख्य इंजीनियर	316951	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) हाइड्रो पावर डेवलपमैंट में डिप्लोमा (21 वर्ष)	16.5.77	44	-
44. दिलीप कारकुन वरि. प्रबंधक	301015	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.टेक (जल संसाधन) (27 वर्ष)	25.7.84	49	कार्यपालक इंजीनियर, एन.पी.सी.सी.
45. वीरजी खर उप प्रबंधक	322486	नियमित	बी.ई. (सिविल), (13 वर्ष)	22.2.85	37	-
46. एच.डी.खुन्टेटा प्रमुख	420932	नियमित	बी.कॉम.,सी.ए. (22 वर्ष)	18.4.88	46	वित्त प्रबंधक, सिम्मको
47. ललित कोहली वरिष्ठ प्रबंधक	316621	नियमित	बी.एस.सी., बिजनिस मैंनेजमैंट में पी.जी. डिप्लोमा, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा (23 वर्ष)	29.12.81	45	बिक्री अधिकारी, यू.पी. फौरेस्ट कारपोरेशन
48. प्रमोद कौल सहा. लेखाधिकारी	339192	नियमित	बी.एस.सी., सी.ए. (इंटर) (8 वर्ष)	3.12.90	37	सोनी एंड रस्तोगी, चार्टेड एकाउंटेंट, शिमला
49. एम. कृष्णामूर्ति महाप्रबंधक	401999	नियमित	बी.ई.इलै., रशियन एवं जर्मनी भाषा में डिप्लोमा (34 वर्ष)	29.6.81	58	उप प्रबंधक, एन.टी.पी.सी.

50. ओ.आर.ललिथा मुख्य इंजीनियर	334857	नियमित	बी.ई.सिविल (27 वर्ष)	2.6.80	51	सहायक इंजीनियर, सी.डब्लु.सी.
51. आर.पी.लाल मुख्य इंजीनियर	328410	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (इलै.) (31 वर्ष)	30.11.81	53	ए.ई.ई.,यूपी.एस.ई.बी.
52. ए.के.लोमस मुख्य इंजीनियर	398567	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (मैके.) एम.ए. (पब्लिक एडमिनस्ट्रेशन) (26 वर्ष)	8.6.81	47	कार्यपालक इजीनियर वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लि., नागपुर
53. पी.सी. मनचन्दा मुख्य इंजीनियर	337181	नियमित	ए.एम.आई.ई. (34 वर्ष)	2.4.79	55	सहायक निदेशक, सी.बी.आई.पी.
54. एम.एम. मदान मुख्य इंजीनियर	330476	नियमित	एम.टेक. (सिविल), प्रबंधन में डिप्लोमा (20 वर्ष)	18.5.77	44	-
55. टी.मन्डल वरिष्ठ प्रबंधक	321937	नियमित	बी.ई.सिविल, (26 वर्ष)	22.12.79	49	-
56. टी.पी. मणिअप्पन मुख्य इंजीनियर	350642	नियमित	बी.ई.सिविल, एम. आई.एम.ए., एफ.आई.ई., प्रबंधन में डिप्लोमा (31 वर्ष)	22.10.81	55	सहायक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी., गोवा
57. आई.बी.मल्होत्रा उप प्रबंधक	322021	नियमित	मैके.इंजी.में डिप्लोमा (16 वर्ष)	1.7.82	50	कनिष्ठ इंजी., सी.पी.डब्ल्यू.डी.
58. नोहर लाल ऑपरेटर (फोटोस्टेट)	320317	नियमित	हायर सेकेन्डरी	31.8.79	43	-
59. आर.एन.मिश्रा वरि. प्रबंधक	353729	नियमित	बी.ई.सिविल, एम.टेक., एम.बी.ए. फाइनेन्सियल मैनेजमैन्ट (19 वर्ष)	21.6.79	41	-
60. दयाल माथुर वरि. प्रबंधक	384358	नियमित	बी.ए.,एम.ए. (सोशल वकर्स) (22 वर्ष)	18.2.81	46	लेबर ऑफिसर, मॉर्डन वूलन कारपेट्स
61. जी.एन.माथुर महाप्रबंधक	406474	नियमित	ए.एम.आई.ई. (इलै.) (31 वर्ष)	7.4.78	55	सहायक इंजीनियर, आर.एस.ई.बी.
62. एन.के.माथुर प्रबंधक	302603	नियमित	एम.एस.सी. (20 वर्ष)	1.3.85	43	अरूण उद्योग, जयपुर
63. के.एस. नागराजा वरि प्रबंधक	376068	नियमित	बी.ई.सिविल, एम.टेक. (सिविल) (20 वर्ष)	16.5.77	44	—
64. नन्द गोपाल महाप्रबंधक	484351	नियमित	एम.ई. (सिविल), बी.ई. (सिविल) (30 वर्ष)	3.4.80	57	उप प्रबंधक, टी.एस.पी.लि तुंगबद्रा
65. एस.एम.नारंग मुख्य इंजीनियर	378147	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (सिविल) (32 वर्ष)	14.2.79	55	सहायक निदेशक, सी.डब्ल्यू.सी.
66. आर. नटराजन निदेशक (वित्त)	388111	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी., ए.सी.ए., आई.सी.डब्ल्यु.ए. (इंटर), सी.एस. (इंटर) (29 वर्ष)	7.7.95	55	निदेशक (वित्त), एन.जे.पी.सी.
67. आर.एन.ओझा प्रमुख	380530	नियमित	बी.ए., सोशल वर्क्स में डिप्लोमा (22 वर्ष)	13.7.78	54	वेल्फेयर ऑफिसर, ब्रिटेनिया इंजी.वर्क्स, पटना

68. एन.ओमन कुट्टन मुख्य इंजीनियर	331710	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (मैके.) (24 वर्ष)	20.1.78	52	सहायक इंजीनियर बी.एस. (प्रोजेक्ट) भारत सरकार।
69. वी.बी.प्रसाद महाप्रबंधक	379265	नियमित	बी.टेक. (इलै.) (33 वर्ष)	14.4.80	55	कार्यपालक इंजीनियर, यू.पी.एस.ई.बी.
70. एम.के.रैना मुख्य इंजीनियर	368923	नियमित	बी.ई.(इलै.) (22 वर्ष)	20.1.78	47	सहायक इंजीनियर, बी.एस.पी.
71. जे.एच.राबर्टसन मुख्य इंजीनियर	354468	नियमित	बी.ई.	11.10.78	52	ए.ई.ई., तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड।
72. टी.वी.साईराम निदेशक (सतर्कता)	432367	प्रतिनियुक्ति	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.एस.सी. (बॉटनी), एम.फिल., जनरल मैंनेजमैंट में डिप्लोमा	1.12.93	52	सैन्ट्रल एक्साइज़ एंड कस्टम, वित्त मंत्रालय।
73. एन.पी.सल्होत्रा प्रबंधक	313782	नियमित	बी.ई.(मैके.), (22 वर्ष)	20.1.78	48	सहायक इंजीनियर, बैरास्यूल
74. ए.के.सरकार वरि. प्रबंधक	308348	नियमित	बी.ई.(मैके.) (18 वर्ष)	1.2.80	41	-
75. आर.के.सक्सेना वरि. प्रबंधक	355924	नियमित	बी.ए., एल.एल.बी. (33 वर्ष)	19.11.79	52	विधि सहायक, यू.पी.एस.ई.बी.
76. एस.पी.सेन मुख्य इंजीनियर	348013	नियमित	एम.ई. (सिविल), एफ.आई.ई. (26 वर्ष)	12.8.80	50	सहायक इंजीनियर, आई.एण्ड डब्ल्यू., पश्चिम बंगाल
77. शंकराचार्य प्रबंधक	309875	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (सिविल), एम.टेक.-डब्ल्यू.आर. (16 वर्ष)	28.11.84	41	सुपरवाइज़र, सी.डब्ल्यू.सी.
78. एन.आर.शेनवी मुख्य इंजीनियर	378055	नियमित	बी.ई. (सिविल), (28 वर्ष)	9.10.78	51	इंजीनियर, मैसूर पावर कारपोरेशन लि., बंगलौर
79. एस.सी.शेर मुख्य इंजीनियर	352766	नियमित	बी.ई. (इलै.), एम.टेक. (19 वर्ष)	22.5.79	43	-
80. ब्रिजेन्द्र शर्मा कार्यपालक निदेशक	536402	नियमित	बी.टेक. (सिविल), एम.टेक. (सिविल) (34 वर्ष)	18.7.81	58	रिसर्च इंजीनियर, इंस्ट्टीयुट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कार्ल्सनोहा, वेस्ट जर्मनी
81. जी.एस.शर्मा वरि. प्रबंधक	307711	नियमित	बी.टेक. (सिविल) (18 वर्ष)	1.2.80	42	-
82. एम.डी.शर्मा, वरि.प्रबंधक	400764	नियमित	बी.ई.सिविल, एल.एल.बी., बिजनिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा (24 वर्ष)	20.10.82	48	सहायक निदेशक (ई.), सी.डब्ल्यू.सी.
83. आर.के.शर्मा महाप्रबंधक	413183	नियमित	बी.ई.इलै., इलै.इंजी. में पी.जी.डिप्लोमा (29 वर्ष)	31.8.78	51	सहायक इंजीनियर, ब्यास परियोजना, चण्डीगढ़
84. टी.आर.शर्मा, वरि. प्रबंधक	310195	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (मैके.) (25 वर्ष)	16.10.80	48	इंजीनियर, ब्यास
85. हरबंश सिंह वरि. प्रबंधक	336934	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (सिविल), एफ. आई.ई., एम.आई.जी.एस. (32 वर्ष)	20.1.79	55	सहायक इंजीनियर, सी.डब्ल्यू.सी

86. जोगिन्दर सिंह महाप्रबंधक	403457	नियमित	एम.ए.सोशल वर्क्स, एल.एल.बी. (28 वर्ष)	10.5.78	53	कार्मिक व श्रम कल्याण अधिकारी, पंजाब स्कूटर्स लि.
87. के.पी.सिंह मुख्य इंजीनियर	367480	नियमित	बी.ई.इलै. (27 वर्ष)	11.3.80	51	सहायक निदेशक, सी.ई.ए.
88. नैन सिंह मुख्य इंजीनियर	354533	नियमित	बी.ई.इलैक्ट्रिकल (18 वर्ष)	2.5.80	43	-
89. आर.एस.सिंगला वरि. प्रबंधक	343231	नियमित	बी.कॉम.एस.ए.एस. (33 वर्ष)	22.11.78	55	ए.जी.सी.आर.
90. अनुराग श्रीवास्तव प्रबंधक	308181	नियमित	बी.ई.सिविल (16 वर्ष)	13.12.82	38	-
91. ए.के.सूद प्रमुख	397031	नियमित	एम.टेक., एप्लायड जियोलॉजी (26 वर्ष)	30.10.82	51	एस.टी.ए., सैन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, कृषि मंत्रालय
92. सी.आर.वेंकटेश कार्यपालक निदेशक	500545	नियमित	एम.ई.सिविल,एफ.आई.ई (21 वर्ष)	29.7.81	53	वैज्ञानिक, सिमेन्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
93. डी.पॉल वर्मा कार्यपालक निदेशक	469428	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (सिविल) (32 वर्ष)	9.8.76	56	एस.डी.ओ.,पंजाब सिंचाई एवं विद्युत विभाग
94. एन. विश्वनाथ निदेशक (तकनीकी)	352916	सरकारी नियुक्ति	एम.ई. (सिविल) (35 वर्ष)	17.9.79	58	सहायक मुख्य इंजीनियर, त्रिवेणी स्ट्रोंक्चरस लि.
95. ए.एस.वालवेकर प्रमुख	339736	नियमित	बी.एस.सी.जियोलॉजी, एम.एस.सी.एप्लायड जियोलॉजी (18 वर्ष)	1.2.80	43	-
96. आर. के. यादवेन्द्र महाप्रबंधक	428695	नियमित	एम.एस.सी.इंजी. (मैके.), एम.बी.ए., पीएचडी सोशल सांइन्स (32 वर्ष)	1.1.82	56	उप निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
97. योगेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	400002	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी.इंजी. (इलै.) (30 वर्ष)	10.5.78	54	सहायक इंजीनियर. बिहार राज्य बिजली बोर्ड

(ख) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में आंशिक तौर पर कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक 25,000/-रू. प्रति महीने से कम नहीं था।

1. श्री बी.एस.पी.सिन्हा कार्यपालक निदेशक	403299	नियमित	बी.ए.एम.आई.एम.एम. (यू.के.) (36 वर्ष)	3.6.81	58	प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
2. श्री सत्य प्रकाश प्रबंधक	496239	नियमित	बी.ई.(सिविल) (23 वर्ष)	9.7.81	46	सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में दी गई व्याख्या के अनुसार निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।
2. नौकरी की शर्तें वही हैं, जो समय-समय पर यथास्थिति, निगम पर लागू सरकारी नियमों एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।
3. उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम, कर्मचारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दशाते हैं।
4. (क) पारिश्रमिक में ये बातें शामिल हैं-निगम द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि।
   (ख) ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि यह अनुमानित आधार पर है।

शुद्ध मूल्य बनाम उधार

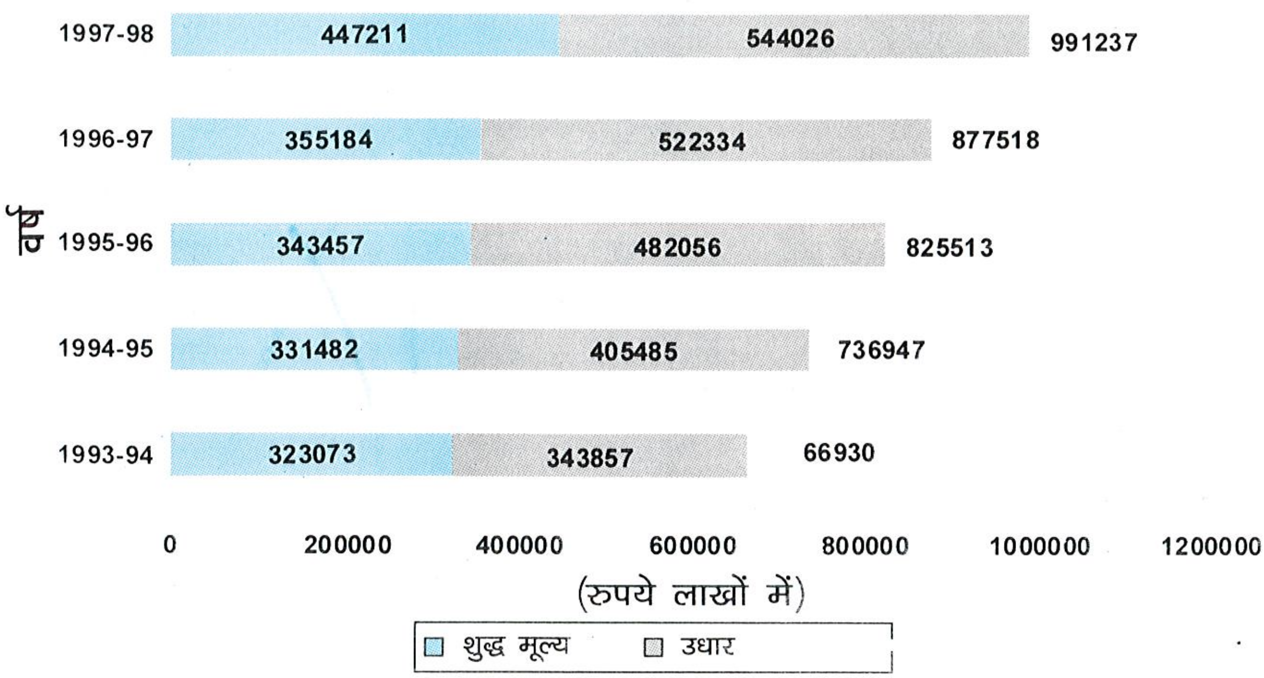

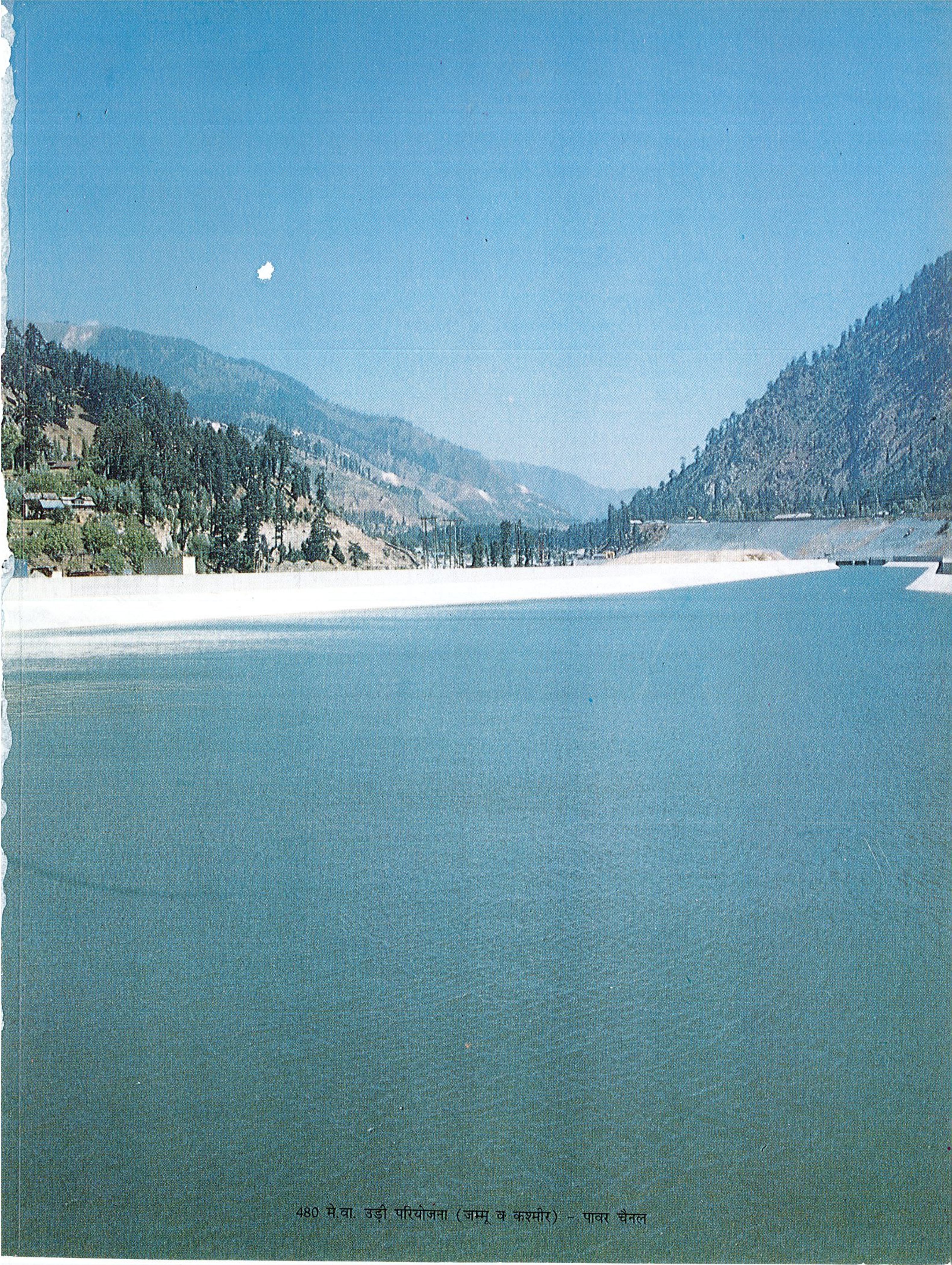

480 मे.वा. उड़ी परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - पावर चैनल

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33

फरीदाबाद (हरियाणा)-121 003

रिफ्लैक्ट एडवर्टाइज़िंग द्वारा अभिकल्पित एवं प्रस्तुत, एरिस्टो में मुद्रित